

निर्भीकता हमारी पहचान

अगस्त 2018

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

RNI NO.- BIHHIN/2006/18181, DAVP NO.-129888, POSTAL REG. NO. :- PT.35

करोड़ों

सरकारी अनुबान से
होता रहा

बलात्कार



25



31





केवल सच सामाजिक संस्थान

भारतीय सोसायटी एक्ट 21, 1860 के तहत निबंधित
पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, कंकड़बाग,

पटना-800020,

सम्पर्क संख्या :- 09431073769, 9955077308, 9308727077
ई-मेल :- kewalsachsamajksanstan33@gmail.com

निबंधन संख्या : 1141 (2009-10), आयकर निबंधित : 12 ए ए/2012-13/2505-8 | 80 जी (5)/तक 0/2013-14/1060-63

शीघ्र अपने प्रदेश में **आपना घर**



बेसहारों का बने सहारा। इसके लिए आपका अनुदान आवश्यक है।

आपका सहयोग कई जीवन को दिशा दे सकता है।

निश्चित सहयोग करें :-



केवल सच सामाजिक संस्थान

खाता संख्या (A/C No.)	-	0600010202404
बैंक (Bank Name)	-	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
आईएफएससी कोड (IFSC Code)	-	UTBIOOKKB463
पैन नं. (Pan No.)	-	AAAK9339D



जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ



काजोल
05 अगस्त 1974



वेंकटेस प्रसाद
05 अगस्त 1969



कपिल सिब्बल
08 अगस्त 1948



महेश बाबू
09 अगस्त 1975




सुनील शेट्टी
11 अगस्त 1961



सीताराम येचुरी
12 अगस्त 1952



स्व०श्रीदेवी कपूर
13 अगस्त 1963



कुलदीप नैयर
14 अगस्त 1923



सुनीधी चौहान
14 अगस्त 1983



अदनान सामी
15 अगस्त 1973




अरविन्द केजरीवाल
16 अगस्त 1968



सैफ अली खान
16 अगस्त 1970



दलेर मेहंदी
18 अगस्त 1967



स्व०राजीव गांधी
20 अगस्त 1944



रणदीप हुड़ा
20 अगस्त 1976




चिरंजिवी
22 अगस्त 1955




मधुर भंडारकर
26 अगस्त 1966



मेनका गांधी
26 अगस्त 1956



दिलीप सिंह खली
27 अगस्त 1972



अक्केनी नाराजुन
29 अगस्त 1959

निर्भीकता हमारी पहचान

www.kewalsach.com

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

Regd. Office :-

East Ashok, Nagar House
No.-28/14, Road No.-14,
kankarbagh, Patna - 8000 20
(Bihar) Mob.-09431073769,
09308727077

E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-

Sector- 1, Block - 14,
Flat No.- 501, Khelgown Houseing
Colony, Ranchi - 834009 (Jharkhand)
Mob.- 09955077308,
E-mail:- editor.kstimes@rediffmail.com

E-mail:- kewalsach_times@rediffmail.com

Delhi Office :-

Sanjay Kumar Sinha,
97A, DDA Flat, Gulabi
bagh, New Delhi- 110007
Mob.- 09868700991,
09955077308

E-mail:- kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-

Ajeet Kumar Dube,
131 Chitranjan Avenue,
Near md. Ali Park,
Kolkata- 700073
(West Bengal)
Mob.- 09433567880
09339740757


ADVERTISEMENT RATES PER ISSUE

COLOUR	AREA	FULL PAGE	HALF PAGE	Qr. PAGE
	Cover Page	5,00,000/-	N/A	N/A
	Back Page	1,60,000/-	N/A	N/A
	Back Inside	1, 00000/-	60,000/-	35000
	Back Inner	90,000/-	50,000/-	30000
	Middle	1,50,000/-	N/A	N/A
	Front Inside	1, 00000/-	60,000/-	40000
	Front Inner	90,000/-	50,000/-	30000

W & B	AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
	Inner Page	60,000/-	35,000/-

- एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेबसाइट www.kewalsach.com के फ़ूट पर भी विज्ञापन सिःशुल्क तथा आपका वेबसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
- एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
- आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
- पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
- विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)



जुलाई 2018

जल संरक्षण

संपादक जी,

आपके पत्रकार ललन कुमार प्रसाद ने जुलाई 2018 के अंक में “जलसंग्रहण व जल संरक्षण का सर्वोत्तम साधन है तलाब” जानकारीप्रद एवं संग्रहनीय आलेख प्रदेशवासियों सहित देश के पाठकों के समक्ष रखा है। कई पन्नों में प्रकाशित खबर में जल संग्रहण की महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ इसके पक्ष-विपक्ष के पक्ष को बिना लाग-लपेट के सरकार एवं जनता जनरन्ड के बीच रखा है जिसका लाभ आवाम को होगा।

+ राणा यादव, बेडर मोड़, पटना

व्यवहारिक संपादकीय

मिश्रा जी,

केवल सच, पत्रिका की पहचान संपादकीय से भी होती है। सरल भाषा में सही संदेश के साथ-साथ समस्या और उसके समाधान के प्रति भी गंभीर विषयों को प्रमाणिकता के साथ पाठकों के समक्ष रखने की कला में आप निपुण हैं। जुलाई 2018 अंक में आपका वर्तमान समय की राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था सहित पाठकों की सोच पर लिखा है और इसका शीर्षक ही इसकी मजबूत दस्तक देता है। “व्यवहार” भले ही पढ़ने में सल है पर इसके आलेख ने लोकतंत्र के सभी स्तरों पर लेखनी से प्रहार किया है तथा नैतिकता का पाठ पढ़ाया है।

+ देव रावत, झंडेवलान रोड, नई दिल्ली

मिशन 2019

ब्रजेश जी,

लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है इसकी जानकारी आपकी भी पत्रिका केवल सच, से जुलाई माह के अंक से मिली की किस प्रकार भाजपा के साथ राजग गठबंधन का राजनीतिक ढंग चल रहा है। मोदी सरकार के लिए 2019 का चुनाव लोकसभा चुनाव 2014 के मुकाबले काफी मुश्किल भरा है क्योंकि मोदी अब उम्मीदवार के रूप में नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के रूप में नजर आयेंगे और पांच साल के कार्यकाल को लेकर जनता के बीच जायेंगे इसकी खबर अमित कुमार के आलेख में मिली। समीक्षा के विभिन्न पहलुओं को इंकार करने पर भाजपा को मुश्किलों का समाना करना पड़ेगा।

+ दिनेश मरांडी, ओरमांझी ब्लॉक, राँची



हमारा पता है :-

हमारा ई-मेल

आपको केवल सच पत्रिका कैसी लगी तथा इसमें कौन-कौन सू खामियाँ हैं, अपने सुझाव के साथ हमारा मार्गदर्शन करें। आपका पत्र ही हमारा बल है। हम आपके सलाह को संजीवनी बूटी समझेंगे।

केवल सच

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

द्वारा:- ब्रजेश मिश्र

पूर्वी अशोक नगर, रोड़ नं.- 14, मकान संख्या- 14/28

कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)

फोन:-0612/3240075, 9431073769, 9955077308

kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach_times@rediffmail.com

साक्षात्कार

ब्रजेश जी,

दिल्ली लोकसभा के सदस्य एवं दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष मोज तिवारी का साक्षात्कार से संजय कुमार सिन्हा ने तथ्यात्मक जानकारी दी है, वही जनजातियों की नगरी ज्ञारखण्ड की राजधानी राँची के एसएसपी अनिश गुप्ता का साक्षात्कार भी पढ़ने योग्य है तथा पत्रकारों ने अपने साक्षात्कार में जलतंत्र मुद्दों को उठाते हुए सवाल पूछे हैं जिसका सटीक जवाब से मैं संतुष्ट हूं। ऐसे ही साक्षात्कार प्रत्येक महीने में आने चाहिए।

+ मोहन भारती, टावर चौक, विष्णुपुर मंदिर, गया

मौसम का आतंक

संपादक जी,

आपकी पत्रिका किसी भी खबर को बहुत ही गंभीरता सहित विश्लेषण के साथ लिखता है। जुलाई 2018 अंक में अमित कुमार की खबर “खतरनाक मौसम और आतंक के साथ अमरनाथ की यात्रा प्रारंभ” में अमरनाथ नाथ यात्रा के क्रम में एक तरफ पड़ोसी दुश्मन का टारगेट तो दूसरी तरफ मौसम की मार ने तीर्थयात्रियों को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा। धर्म और आस्था से जुड़े इस यात्रा को लेकर भारतीय बहुत ही भावुक हैं। मौसम की वजह से कई मुश्किलों आने के बाद भी बाबा बर्फनी के दर्शन को लेकर भक्त उत्साहित दिखे।

+ जलेश्वर साव, मारूंगा, मुम्बई

सम्मान समारोह

मिश्रा जी,

आपकी पत्रिका अपने नाम की सार्थकता को पूरा करता दिख रहा है। जून माह 2018 में रासी दुर्गावती सम्मान समारोह की तथ्यात्मक समीक्षा आपने जुलाई 2018 माह के अंक में की है जिसको पढ़ने से यह एहसास ही नहीं होता की अमुक तिथि को मैं वहाँ मौजूद नहीं था। सभी प्रकार की जानकारी के साथ कई फोटो खबर की गंभीरता को अत्यधिक कारगर बनाता है। इस अंक की कई खबरें पाठकों को जागरूक करने के साथ-साथ आने वाले चुनौतियों के प्रति भी सचेत कर रहा है। केवल सच पत्रिका निरंतर प्राप्ति के पथ पर अग्रसर है। पत्रिका रंगीन हो यही कामना है।

+ सोहेल वर्णवाल, अस्सी घाट, बनारस (यूपी)

अन्दर के पन्नों में



सोनाली की गला रेत कर दी हत्या...38




42



लोगों की बग्री में तब्दील बालंदा एवं बवादा के कई गौंथ

48



पानी बचाइये जल एक-एक बूदं के लिए बरसेग

80

आदेश का उड़ा रहे धज्जियाँ.....92

RNI No.- BIHHIN/2006/18181,
समृद्ध भारत



DAVP No.- 129888
खुशहाल भारत



निर्भीकता हमारी पहचान

केवल सच

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्ष:- 13 अंक:- 146 माह:- अगस्त 2018, मूल्य:- 20/- रु०

फाउंडर

गोपाल मिश्र 0612/2362784
संपादक

ब्रजेश मिश्र 9431073769
9955077308
9308127077

editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach@gmail.com
kewalsach_times@yahoo.com
प्रधान संपादक

सच्चिदानन्द मिश्र 09431878843

संपादकीय सलाहकार

अमोद कुमार (अधिवक्ता) 09431075402
दीपक मिश्र 09334096060, 09717857012

महाप्रबंधक

त्रिलोकी नाथ प्रसाद 09308815605, 09122003000
triloki.kewalsach@gmail.com

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

पूनम जयसवाल 9430000482, 9798874154
रीता सिंह 9471867210, 9308729879

उपसंपादक

डॉ० निर्मल आनन्द 08581837557
अरविन्द मिश्र 9934227532, 09576438501
शिवचन्द्र झा 08521329144

संयुक्त संपादक

अमित कुमार “गुड्डू” 9905244479
amit.kewalsach@gmail.com

सहायक संपादक

रामपाल प्रसाद वर्मा 9939086809, 7079501106

समाचार प्रबंधक

सुधीर कुमार मिश्र 09608010907

व्यूरो-इन-चीफ

संकेत कुमार झा 9386901616, 7762089203
ललन कुमार 9430243587, 9334813587

विधि सलाहकार

अमिताभ रंजन मिश्र 08873004350
शिवानन्द गिरि 09308454485
रणविजय सिंह यादव 09334612716, 09801111138
रवि कुमार पाण्डे 09507712014

चीफ क्राइम व्यूरो

प्रिया सिंह मौर्य 7764062233, 9471280310
मिथिलेश कुमार 9934021022, 9431410833
गगन कुमार मिश्र 8210810032, 9835585560

साज-सज्जा प्रबंधक

अमित कुमार 09905244479

प्रसार प्रतिनिधि

कुणाल कुमार 09905203164

झारखण्ड सहायक संपादक

अभिजीत दीप 9835916650, 9430192929

झारखण्ड स्टेट व्यूरो चीफ

ब्रजेश कुमार मिश्र 9431950636, 9631490205

झारखण्ड प्रदेश जिला व्यूरो

राँची :- अभिषेक मिश्र 09431732481
साहेबगंज :- अनंत मोहन यादव 09546624444

खट्टी :-
जमशेल्पुर :-
हजारीबाग :-
जामताड़ा :-

दुमका :-
देवघर :-
धनबाद :-
बोकारो :-

गमगाह :-
चाईबासा :-
कोडरमा :-
गिरीडीह :-

चतरा :-
लातेहार :- रविकांत पासवान 9801637947

गोड्डा :-
गुमला :-
पट्टामू :-

गढ़वा :-
पाकुड़ :-
सरायकेला :-

सिमडेगा :-
लोहरदारा :-

बिहार प्रदेश जिला व्यूरो

पटना (शा०) :- श्रीधर पाण्डे 09470709185

(ग्रा०) :-

भोजपुर :- बिन्ध्याचल सिंह 8935909034

कैमूर :-

रोहतास :- अशोक कुमार सिंह 7739706506

:-

गया (शा०) :-

(ग्रा०) :-

औरंगाबाद :- मयंक कुमार 9852569398

जहानाबाद :- नवीन कुमार रौशन 9934039939

अरबल :- संतोष कुमार मिश्र 9934248543

नालन्दा :-

:-

नवादा :-

:-

मुंगेर :-

लखीसराय :-

शेखपुरा :-

बैगूसराय :-

:-

खगड़िया :-

समतीपुर :-

जमुई :- अजय कुमार 09430030594

बैशली :-

:-

छपर :-

सिवान :- सनोज कुमार 9955672241

:-

गोपालगंज :-

:-

मुजफ्फरपुर :- अविनाश कुमार 9470659050

सीतामढ़ी :-

शिवहर :-

बैतिया :-

बगहा :-

मानिहारी :-

दरभंगा :-

:-

मधुबनी :-

:-

सहरसा :-

मधुपुर :-

सुपैल :-

किशनगंज :-

:-

अररिया :-

पूर्णिया :-

कटिहार :-

भागलपुर, :-

(ग्रा०) :-

नवगंगिया :-

बांका :-

दिल्ली कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
97 ए, डी डी ए फ्लैट
गुलाबी बाग, नई दिल्ली- 110007
मो- 09868700991, 09431073769

पश्चिम बंगाल कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकाता, पश्चिम बंगाल- 700073
मो- 09433567880, 09339740757

झारखण्ड कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
सेक्टर- 1 ब्लॉक नं.- 22,
फ्लैट नं.- 303,
खेलगांव, होटवार, राँची- 834009
मो- 9955077308, 9431073769

मध्य प्रदेश कार्यालय

बहुत जल्द कार्यालय
का शुभारंभ

छत्तीसगढ़ कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- नूर आलम
हाउस नं.-74, अटल आवास,
बेलभाँटा, अभनपुर, रायपुर
(छत्तीसगढ़)
मो- 09835845781,
08602674503

दिल्ली हेड

संजय कुमार सिन्हा 09868700991

झारखण्ड हेड

राजेश मिश्रा 09608645414
08083636668
rajeshmishrati@gmail.com

पश्चिम बंगाल हेड

अजीत दुबे 09433567880
09339740757

उत्तर प्रदेश हेड

गदधर नाथ मिश्रा 09452127278

महाराष्ट्र हेड

कमोद कुमार कंचन 07783822144

महाराष्ट्र कार्यालय
केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- कमोद कुमार कंचन
Swapnapoorti Society,
Phase- 1, Sector - 26,
Nigdi, Pune- 411044
Mob:- 7492868363

आंध्र प्रदेश

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- श्रवण कुमार चंचल
एस के प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज,
प्लॉट संख्या-116, रोड नं.- 25,
आई पी काटेदान,
जिला-संगोड़ी, हैदराबाद-500077
मो- 09700475872, 07842218598

उत्तर प्रदेश कार्यालय

बहुत जल्द कार्यालय का शुभारंभ

उत्तराखण्ड कार्यालय

बहुत जल्द कार्यालय का शुभारंभ

गुजरात कार्यालय

बहुत जल्द कार्यालय का शुभारंभ

राजस्थान कार्यालय

बहुत जल्द कार्यालय का शुभारंभ

हरियाणा कार्यालय

बहुत जल्द कार्यालय का शुभारंभ

कर्नाटक कार्यालय

बहुत जल्द कार्यालय का शुभारंभ

उडीसा कार्यालय

बहुत जल्द कार्यालय का शुभारंभ

आसाम कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- शश्मू नाथ मिश्र
रेलवे गेट नं.- 02 राजेन्द्र नगर
वार्ड नं.- 08, लंका, पोस्ट- लंका
जिला-नगाँव, दिसपुर (आसाम)
मो- 08135023285, 07631376135

गृह नगर इंदर भी**संपादकीय व प्रधान कार्यालय:-**

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं:-14, मकान संख्या:- 28/14, कंकड़बाग,
पटना-800020 (बिहार) मो- 9431073769, 9955077308

e-mail:- kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com, kewalsach_times@rediffmail.com

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा सांघ्र्य प्रवक्ता खबर वर्क्स, ए-17, वाटिका विहार (आनन्द विहार), अम्बेडकर पथ, पटना 8000 14(बिहार) एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, ककड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक-ब्रजेश मिश्र। RNI NO.-BIHHIN/2006/18181

पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।

सभी प्रकार के वाद-विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।

आलेख पर कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।

किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

सभी पद अवैतनिक हैं।

विज्ञापन की सत्यता की जाँच आप अपने स्तर पर कर लें।

फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्रोत)

कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।

विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।


भुगतान Kewal Sach को ही करें। प्रतिनिधियों को नगद न दें।

A/C No. : 0600050004768

BANK :- United Bank Of India

IFSC Code :- UTBI0KKB463

PAN No. :- AAJFK0065A



श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक

‘केवल सच’ पत्रिका एवं ‘केवल सच टाइम्स’

प्रदेश अध्यक्ष, बिहार राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)

पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉर्मस

09431016951, 09334110654

झारखण्ड राज्य प्रमंडल ब्यूरो

संथाल परगना	आवश्यकता है	
दुमका		
दक्षिणी छोटानागपुर	आवश्यकता है	
राँची		
उत्तरी छोटानागपुर	आवश्यकता है	
हजारीबाग		
कोलहान	आवश्यकता है	
चाईबासा		
पलामू	आवश्यकता है	
डाल्टनगंज		

जुड़ने के लिए सम्पर्क करें:- 9431073769

बिहार राज्य प्रमंडल ब्यूरो

पटना		
मगध		
सारण		
तिरहुत		
पूर्णिया	धर्मेन्द्र सिंह	9430230000 7004119966
भागलपुर		
मुंगेर		
दरभंगा		
कोशी		

www.Kewalsach.com
पट पटी पत्रिका 30 दिनों तक उपलब्ध

पत्रिका संरक्षक

श्री जय कुमार सिंह	:- मंत्री, उद्योग विभाग, बिहार सरकार	9431821104
डॉ. उमाकान्त पाठक	:- जेनरल फिजिशियन, MBBS	9835291966
भगवान सिंह कुशवाहा	:- पूर्व मंत्री, बिहार सरकार	9431821525
श्री ललन पासवान	:- विधायक, चेनारी रालोसपा	9431483540
डॉ. ए. के. सिंह	:- शिशु रोग विशेषज्ञ MBBS	9431258927
श्रीमती अरुणा सिंह	:- सदस्य, जिला पार्षद, बिक्रमगंज	9931610437

विशेष प्रतिनिधि

राजेश कुमार मिश्र	8757834700, 7004296529
लक्ष्मी नारायण सिंह	9204090774
मणिभूषण तिवारी	9693498852
मनीष कुमार कमलिया	9934964551
कामोद कुमार कंचन	7492868363
आशुतोष कुमार	9430202335, 9304441800
राजीव रंजन	9431657626
दीपनारायण सिंह	9934292882, 8409308484
आनन्द प्रकाश पाण्डे	9931202352, 7808496247
अनु कुमारी	9471715038, 7542026482
प्रदीप कुमार सिन्हा	9472589853, 9431423138
रामजीवन साहू	9430279411, 7250065417
प्रणव कुमार कश्यप	8809903185,
सलाम साबरी	9835094832,
रंजीत कुमार सिन्हा	9931783240, 7033394824

छायाकार

त्रिलोकी नाथ प्रसाद	9122003000, 9431096964
मुकेश कुमार	9835054762, 9304377779
जय प्रसाद	9386899670
कृष्ण प्रसाद	9608084774, 9835829947



करोड़ों सरकारी अनुबंध से छौता छछा बलात्कार

नवरुणा कांड की सीबीआई जाँच में हुई लीपापोती के तैसे ही ना बनकर रह जाये
बालिका गृह बलात्कार कांड के हालात?

● अमित कुमार

इ

र, भय और नक्सल तथा दस्युओं की मजबूत पकड़ में वर्षों पहले अपराध का चादर ओढ़े भारत का ऐसा अंग विहार, जिसके नाम से ही बड़े-बड़े के पसीने छूट जाते थे और पैंट से निकल जाती थी मू.....। उस विहार को अपराध से कोसो दूर ले जाने के अथक प्रयास में आखिरकार जनता दल युनाइटेड के वरिष्ठ नेता और सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2005 में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और मिटा दी थी भय और डर के माहौल को। किन्तु ये कहा गया है न कि सत्ता, राजगद्वी अगर किसी के पास ज्यादा दिनों तक रहे तो वह अपने कर्तव्यों को भुलने में देर नहीं करता, आज ऐसा ही अपना विहार को सूबे के मुखिया ने बना दिया है। ज्ञात हो कि जिस प्रकार 2005 के विहार

विधानसभा चुनाव में अपने सहयोगी गठबंधन भाजपा के साथ मिलकर अपराध पर अंकुश लगाये जाने के लिए हर प्रयास किए गए, पुलिस को लॉ एण्ड ऑर्डर संभालने की पूरी छूट दी गई। प्रशासन और राजनेता की दूरियों को देखा गया और अपराधी से सांठ-गांठ रखने वाले नेताओं की एक न चलने दी गई। तभी तो रात के 12 बजे भी लोग निर्भय के साथ चहलकदमी करते दिख जाते थे और उनमें एक सुखद एहसास होता था कि हमने एक अच्छे लीडर को चुना है। बहरहाल, 2005 के बाद 2010 आया और विधि व्यवस्था चरमराती दिखने लगी। आगे समय बीता गया और हालात ऐसे आए कि गठबंधन में दरार हो गए, दो भाग की राजनीति शुरू हो गई और चुनावी राजनीतिक समीकरण ऐसा बना की कल तक जिन्हें कोसकर और उनके अपराधिक कृत्यों को प्रकाश में रखकर विहार की सत्ता में बैठने वाले नीतीश कुमार ने

उनसे हैलो-हैलो कर लिया तथा वर्ष 2015 में भाईचारा बनाम राजनीति की शुरूआत हो गई। हालांकि इस दरम्यान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नये-नये प्रयोग किए जाने लगे और शराबबंदी को लेकर हाय-तौबा का माहौल उड़ पड़ा। एक तरफ शराब पर पूर्णतः बंदी तो दूसरे तरफ शराब माफियाओं की उपज भी इसी निर्णय का देन है। एक तरफ कड़े से कड़े कानून शराब पीने और बेचने वालों के लिए बनने लगे तो दूसरे तरफ विहार के हरेक कोने-कोने में शराब माफिया पैदा होने लगे। हालात ऐसे हो गए हैं कि कल तक जो पीने वाले थे, आज वह बेचने वाले बन गये हैं। यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार द्वारा यह लिया गया फैसला जल्दबाजी का था। सनद् रहे की इस व्यवसाय से जुड़े हर तबके के लोग थे, जो बेरोजगार और बेघर हो गए, क्योंकि उन्हें तो वही काम आता था जो वह वर्षों से कर रहे थे। अंततः कईयों ने लूटपाट का

भी सहारा लेना शुरू कर दिया और आज बिहार के हालात ऐसे हैं की ऐसा कोई दिन अखबार के सुर्खियों में नहीं रहता की कोई जघन्य अपराध घटित हुआ हो और प्रशासन सहित सूबे के सुर्खिया तमाशबीन बने बैठे हैं। बीते कई वर्षों में बिहार के लिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार एक चुनौति रही है, साथ ही टॉपर घोटाले का मसला पूरे देश में बिहार को कलंकित करते दिखा। गौरतलब हो कि आज एक बार फिर बिहार सुर्खियों में है और पूरे देश में बीते दिनों राज्य के मुजफ्फरपुर जिले से आग धधक रही है। मामला है सरकारी बालिका गृह की लड़कियों के साथ बलात्कार का।

बताते चले कि बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बालिका गृह है, जो एनजीओ के माध्यम से चलाये जाते हैं तथा सरकार इसके लिए इन्हें पैसे देती है। इस बालिका गृह में भागी भटकी हुई लड़कियों को ला कर रखा जाता है, जिनका कोई ठिकाना नहीं होता है, मां बाप नहीं होते हैं। इस बालिका गृह में रहने वाली लड़कियों की उम्र 7 से 15 साल के बीच बताई जाती है। टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस जैसी संस्था ने इस बालिका गृह का सोशल ऑफिट किया था, जिसमें कुछ लड़कियों ने यौन शोषण की शिकायत की थी। उसके बाद से 28 मई को एफआईआर दर्ज हुआ और एक न्यूज चैनल द्वारा इस खबर को विस्तार से प्रसारित किया गया। यहां रहने वाली 44 बच्चियों में से 34 के साथ बलात्कार और लगातार यौन शोषण के मामले की पुष्टि हो चुकी है। एक कैप्स में 34 बच्चियों के साथ बलात्कार का नेटवर्क एक्सपोज हुआ हो और अभी तक मुख्य आरोपी का चेहरा किसी ने नहीं देखा है। इस मामले को लेकर विधानसभा और लोकसभा में हंगामा हुआ है मगर सब कुछ होने के बाद भी सबकुछ वर्ही का बही है। खबर की पड़ताल ठप्प है तब भी जब 11 में से 10 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जिस बालिका गृह में 44 में से 34 लड़कियों के साथ रेप हुआ हो, यह कैसे संभव है कि वहां हर महीने जांच के लिए



ब्रजेश ठाकुर

बीमारी के नाम पर अस्पताल पहुंच गया। ब्रजेश ठाकुर के परिवार वालों का कहना है कि रिपोर्ट में उनका नाम इसलिए आया कि उन्होंने पैसा नहीं दिया। न ही समाज कल्याण विभाग के एफआईआर में उनका नाम है। किसी का भी नाम नहीं है, फिर उन्हें निशाना क्यों बनाया जा रहा है। इस बात की तो पुष्टि हो ही चुकी है कि 34 बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है। यह रिपोर्ट तो झूठी नहीं है, लेकिन 34 बच्चियों के साथ किन-किन लोगों ने लगातार बलात्कार किया है, यह कब पता चलेगा। ब्रजेश ठाकुर दोषी है या नहीं, यह एक अलग सवाल है मगर जांच नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा। जांच कैसे हो रही है, इस पर नजर नहीं रखी जाएगी तो जांच कैसी होगी, आप समझ सकते हैं। सबके हित में है कि जांच सही से हो। हालांकि यह हैरानी वाली बात है की ब्रजेश ठाकुर के रिमांड पर नहीं लिया गया, ऐसा पहला केस देखने को मिला है जिसमें पुलिस ब्रजेश ठाकुर से पुछताछ के लिए रिमांड का आवेदन देती है लेकिन कोर्ट ने रिमांड की अनुमति नहीं दी। पुलिस ने दोबारा रिमांड का आवेदन किया तो कोर्ट ने कहा कि जेल में ही पूछताछ कीजिए। बाद में पुलिस ने कहा कि जेल में ब्रजेश ठाकुर पुछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, दो माह होने को है अभी तक पुलिस को रिमांड पर नहीं मिला है। बिहार सरकार भी इस मामले में चुप रही। टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने 23 अप्रैल को बिहार समाज कल्याण विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। हालात ऐसे हैं कि एक महीने बाद समाज कल्याण विभाग ने एफआईआर दर्ज किया और वही दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर की एसएसपी हरप्रीत कौर ने अगर सक्रियता न दिखाई होती तो इस मामले में थोड़ी बहुत कार्रवाई भी नहीं होती। आप इसे चाहे जैसे देखें, मगर सिस्टम में इतना घुन लग गया है कि पेशेवर तरीके से कुछ भी होने की कोई उम्मीद नहीं है। वर्षों मुकदमा चलेगा, किसी को कुछ नहीं होगा।





ब्रजेश ठाकुर के धिनौने कुकृत्य की सहयोगी मधु एवं पुलिस हिरासत में ब्रजेश ठाकुर



गैरतलब हो कि इन 44 बेटियों का जीवन इस बालिका गृह में आने से पहले थी और अन्त में आने के बाद ये हुआ कि इनके नाम पर सरकार हर साल 40 लाख रुपए देने लगी। 40 लाख के बूते ब्रजेश ठाकुर के घर में इन बेटियों को रखा गया। क्या इन लाखों रुपए से उनके जीवन की रोशनी पक्की हुई? यह रिपोर्ट इन बेटियों के ठाकुर के घर में कटे दिन और रातों की कहानी बयां करती है। ब्रजेश ठाकुर को सरकार से हर साल एक करोड़ रुपए की रकम मिलती थी। केवल बालिका गृह के लिए ठाकुर को हर साल 40 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन इसी बालिका गृह की 34 लड़कियों ने अपनी यातना की जो आपबीती बताई है उसे सुन ऐसा लगता है मानो ये 40 लाख रुपए उनके यौन शोषण को सुनिश्चित करने के लिए दिए जा रहे थे। मुजफ्फरपुर में ठाकुर को

वृद्धाश्रम, अल्पावास, खुला आश्रय और स्वधार गृह के लिए भी टेंडर मिले हुए थे। खुला आश्रय के लिए हर साल 16 लाख, वृद्धाश्रम के लिए 15 लाख और अल्पावास के लिए 19 लाख रुपए मिलते थे। ठाकुर पर सरकारी महकमा इस कदर मेर्हबान रहा है कि अब उसके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है। किसी एक एनजीओ को एक साथ इतने टेंडर कैसे मिले? इस सवाल का जवाब न बिहार का समाज कल्याण विभाग दे रहा है और न बाल संरक्षण विभाग। यही सवाल मुजफ्फरपुर की एसएसपी हरप्रीत कौर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ब्रजेश ठाकुर को टेंडर देने में कई नियमों का उल्लंघन किया गया है। हरप्रीत कौर ने आगे कहा की एक-एक कर ऐसी चीजें सामने आ रही हैं, जिनसे शक का दायरा और बढ़ता जा रहा है। जिस घर का चुनाव बालिका गृह के लिए किया गया था, वो

नियमों पर खरा नहीं उतरता है। जहां बालिका गृह था उसी कैप्स में ब्रजेश ठाकुर का घर है। उसी कैप्स से उनका अखबार निकलता है। घर की स्थिति ठीक नहीं है। सीसीटीवी कैमरे का होना अनिवार्य है, लेकिन एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। हमने इन सब पर रिपोर्ट मंगवाई हैं और ये सभी बातें जांच के दायरे में हैं।

सनद् रहे कि ब्रजेश ठाकुर के रुठबे के सामने सारे नियम बैने थे। अपने बालिका गृह में बच्चियों के यौन शोषण के मामले में 31 मई को ठाकुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और उसी दिन बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग ने उन्हें पटना में मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत एक और अल्पावास का टेंडर दे दिया। समाज कल्याण विभाग के पास टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट महीनों से मौजूद थी और उसे पता था कि



पुलिस गिरफ्त में सीपीओ रवि रौशन एवं अन्य कर्मी



ब्रजेश ठाकुर का एनजीओ सेवा संकल्प कई मामलों में संदिग्ध है, फिर भी यह टेंडर क्यों दिया गया? समाज कल्याण विभाग के निदेशक राजकुमार का कहना है कि उन्हें पता चला तो उन्होंने 7 जून को इस टेंडर को रद्द कर दिया। लेकिन राजकुमार की यह बात अपने आप में झूँट है। जब रिपोर्ट मार्च में आ गई थी तो मई में फिर से नया टेंडर क्यों दिया गया? इस टेंडर लेटर पर राजकुमार का ही हस्ताक्षर है। इस सवाल का जवाब मिलना भी अभी बाकी है कि ब्रजेश ठाकुर के खिलाफ इतनी चीजें आने के बावजूद उन्हें टेंडर किसने दिलवाया? जिस दिन ब्रजेश ठाकुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई उसी दिन उन्हें पटना में मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत एक और अल्पावास का टेंडर दे दिया गया। मुजफ्फरपुर के सिटी डीएसपी मुकुल कुमार रंजन का कहना है कि ब्रजेश ठाकुर को कई नियमों की अवहेलना कर टेंडर दिए गए हैं। मुकुल रंजन ने कहा कि हर महीने ठाकुर के बालिका गृह में निगरानी टीम जाती थी, लेकिन कभी किसी ने नहीं कहा कि वहां सब कुछ ठीक नहीं है। मुकुल कहते हैं कि यह अपने आप में हैरान करता है। ब्रजेश ठाकुर के अखबार प्रातः कमल ने चार जून को लिखा है कि हर महीने दर्जनों जज बालिका गृह का औचक निरीक्षण करने आते थे और सबने कहा कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है, तो अचानक कैसे सब गड़बड़ हो गया? हर महीने बाल संरक्षण इकाई के अधिकारी और शहर के सरकारी अस्पताल की दो महिला डॉक्टर भी निगरानी में जाती थीं, लेकिन सबने अच्छी रिपोर्ट दी और कोई शिकायत नहीं की। किसी ने नहीं कहा कि बालिका गृह के लिए इमारत का चुनाव गलत है। किसी ने सीसीटीवी कैमरे नहीं होने का मुद्दा नहीं बनाया और न ही किसी ने ये कहा कि बच्चियों का वहां यौन शोषण हो रहा है। ब्रजेश ठाकुर



बालिका गृह सेक्स स्कैंडल की जाँच में जुटी मुजफ्फरपुर एसएसपी हरप्रीत कौर

की बेटी निकिता आनंद का कहना है कि टिस (टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस) के बच्चे आए थे और उनकी रिपोर्ट को सच नहीं माना जा सकता है। वही सिटी एसएसपी मुकुल कुमार रंजन कहते हैं कि टिस की रिपोर्ट एकमात्र आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि टिस की रिपोर्ट के बाद बच्चियों ने जज के सामने जो बयान दिया है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मुकुल रंजन के मुताबिक बच्चियों ने जज के सामने कहा है कि उनके प्राइवेट पार्ट पर चोट की जाती थी और सुबह उठती थीं तो उनकी पैंट बदन से अलग होती थी। बाल संरक्षण यूनिट के सहायक निदेशक देवेश कुमार शर्मा भी बालिका गृह में निगरानी के लिए जाया करते थे। आखिर शर्मा को कोई भनक तक भी क्यों नहीं लगी कि वहां इतना कुछ चल रहा था? देवेश शर्मा का

कहना है कि हो सकता है कि उनका पुरुष होना इस मामले में समस्या बनी हो। क्या यहां मसला पुरुष और महिला का है? डॉक्टर लक्ष्मी और डॉक्टर मीनाक्षी भी महिला डॉक्टर के तौर पर वहां जाती थीं, लेकिन उन्होंने भी कभी आपत्ति नहीं जताई। मुकुल रंजन का कहना है कि ब्रजेश ठाकुर ने एनजीओ को चलाने में बहुत चालाकी की है। उन्होंने कहा कि किसी रमेश ठाकुर के नाम से उनका एनजीओ सेवा संकल्प चलता है। जाँच में अब तक रमेश ठाकुर नाम का कोई व्यक्ति सामने नहीं आया है। मुकुल रंजन को लगता है कि ब्रजेश ठाकुर ने ही अपना नाम यहां रमेश ठाकुर कर लिया है।

बताते चले की मुजफ्फरपुर कलेक्टरियट में इसी रिपोर्ट के तथ्यों को जुटाने के क्रम में एक अधिकारी बातचीत के दौरान भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि वो बुरी तरह से डरे हुए हैं कि कहीं उन्हें कोई मार न दो। उन्हें लोग कहते हैं कि गलत आदमी से पंगा ले लिया है। उन्हें ऐसा लगता है कि जल्द ही वो भी सलाखों के पीछे होंगे या मार दिए जाएंगे। उस अधिकारी ने 27/12/2017 का एक पत्र भी दिखाया, जिसमें ब्रजेश ठाकुर के घर से बालिका गृह को कहीं और शिफ्ट करने की बात कही गई है। इसे लेकर एसएसपी हरप्रीत कौर से बात की तो उन्होंने कहा कि वो इस बात को लेकर सजग हैं। वही मुजफ्फरपुर पुलिस ने अपनी सुपरविजन रिपोर्ट में ब्रजेश ठाकुर की करोड़ों की अवैध संपत्ति होने की बात कही है। सुपरविजन रिपोर्ट





में कहा गया है, ठाकुर के फर्जी एनजीओ में पदधारक उनके सगे संबंधी, पेड स्टाफ या डमी नाम होते हैं। ऐसे गलत कारनामों से ठाकुर ने करोड़ों रुपए कमाए हैं और इस कमाई में विभाग के आला अधिकारी, कर्मचारी और बैंकर्स शामिल हैं। ठाकुर की पकड़ इतनी मजबूत है कि विज्ञापन की शर्तों को पूरा नहीं करने पर भी कई टेंडर दिए गए और ऐसा अब भी जारी है। बिहार राज्य एडस नियंत्रण समिति ने बिना विज्ञापन प्रकाशित किए सेवा संकल्प को समस्तीपुर में लिंक वर्कर स्कीम उपहार के तौर पर दे दी। इस रिपोर्ट में ठाकुर के पास पटना, दिल्ली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और बेतिया में करोड़ों की संपत्ति होने का जिक्र किया गया है। सिटी डीएसपी मुकुल रंजन का कहना है कि ब्रजेश ठाकुर ने पूछताछ के दौरान कहा है कि बालिका गृह में आने से पहले ही लड़कियां यौन प्रताड़ना की शिकार बन चुकी थीं। इस पर मुकुल रंजन का कहना है कि 'अगर ऐसा था तो ठाकुर ने बालिका गृह में इन लड़कियों के खबर से पहले मेडिकल रिपोर्ट की मांग क्यों नहीं की?' वही ध्यान रहे की ब्रजेश ठाकुर के बालिका गृह में 2015 से 2017 के बीच तीन बच्चियों की मौत हो चुकी है। टिस की रिपोर्ट के बाद जांच शुरू हुई तो इन मौतों को लेकर भी चर्चा शुरू हुई। एसएसपी हरप्रीत कौर का कहना है कि शहर के सरकारी अस्पताल से इन मौतों की बिसरा रिपोर्ट मंगवाई गई तो मौत की वजह बीमारी बताई गई है। इन मौतों के बाद भी ब्रजेश ठाकुर को बालिका गृह का टेंडर मिलता गया। यह टेंडर इन बेटियों की जिंदगी में उम्मीद भरने के लिए था पर इन बच्चियों ने जो आपबीती बताई है उसे सुन ऐसा लगता है कि यह टेंडर रेप और यौन प्रताड़ना का था।

गौरतलब हो की इस घिनौने घटना को अंजाम देने वाले ब्रजेश ठाकुर कौन है इसके

बारे में कहा जाता है कि इसके पिता राधामोहन ठाकुर ने 1982 में मुजफ्फरपुर से एक हिंदी अखबार शुरू किया था। इस अखबार का नाम 'प्रातः कमल' था। राधामोहन ठाकुर की पत्रकारों के बीच अच्छी पहुंच थी। बिहार में छोटे अखबारों को शुरू करने वाले शुरुआती नामों में से एक नाम राधामोहन ठाकुर का भी था। राधामोहन ठाकुर ने खूब पैसे बनाए और फिर उसे रियल स्टेट में लगा दिया। वो रियल स्टेट का शुरुआती दौर था, जब पिता की मौत हो गई तो विरासत संभालने का जिम्मा ब्रजेश ठाकुर के कंधों पर आया। पैसे पहले से ही थे और पिता का रसूख भी था। इसलिए ब्रजेश के हाथ में कमान आते ही उसने रियल स्टेट के कारोबार से एक कदम आगे बढ़कर राजनीति में हाथ आजमाना शुरू कर दिया। 1993 में जब बिहार के चर्चित नेता आनंद मोहन ने जनता दल से अलग होकर अपनी पार्टी बिहार पीपुल्स पार्टी बनाई तो ब्रजेश ठाकुर उसमें शामिल हो गया। 1995 में बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए, तो ब्रजेश ठाकुर मुजफ्फरपुर के कुदूनी विधानसभा सीट से बिहार पीपुल्स पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ गया, लेकिन उसे जीत नहीं मिली। वर्ष 2000 के विधानसभा चुनाव में भी ब्रजेश ठाकुर एक बार फिर से कुदूनी से ही चुनाव लड़ने उतरा। ब्रजेश ने जमकर चुनाव प्रचार किया और खूब पैसे खर्च किए, लेकिन वो इस बार भी जीत नहीं सका। हालांकि इस चुनाव में ब्रजेश दूसरे नंबर पर आ गया था। 2005 में ब्रजेश ठाकुर फिर से चुनाव लड़ता, उससे पहले ही 2004 में बिहार पीपुल्स पार्टी के मुखिया आनंद मोहन ने अपनी पार्टी का कांग्रेस के साथ विलय कर दिया। इसके बाद ब्रजेश ठाकुर के चुनाव लड़ने के रास्ते बंद हो गए। लेकिन ब्रजेश ठाकुर की आनंद मोहन से नजदीकी बरकरार रही। इसके साथ ही आरजेडी और जेडीयू के नेताओं के साथ भी ब्रजेश ठाकुर का उठना-बैठना

जारी रहा। इसी बीच ब्रजेश ठाकुर ने अपने अखबार 'प्रातः कमल' का मालिक अपने बेटे राहुल आनंद को बना दिया। कागजात के मुताबिक ब्रजेश खुद उस

अखबार में सिफर पत्रकार है। वर्ष 2012 में ब्रजेश ठाकुर ने एक अंग्रेजी का अखबार भी शुरू कर दिया। इस अखबार का नाम है News Next। जिसकी एडिटर इन चीफ ब्रजेश ठाकुर की बेटी निकिता आनंद हैं। इसके अगले ही साल वर्ष 2013 में ब्रजेश ठाकुर ने अपना एनजीओ शुरू किया, जिसका नाम सेवा संकल्प एवं विकास समिति है। इस एनजीओ के बैनर तले ब्रजेश ठाकुर ने बालिका गृह की शुरुआत कर दी। इस बीच उसने ऊर्दू का भी एक अखबार लॉन्च कर दिया, जिसका नाम हालात-ए-बिहार है।

अब तीनों अखबार 'प्रातः कमल', News Next और हालात-ए-बिहार' के साथ ही बालिका गृह का भी संचालन एक ही बिल्डिंग से होने लगा, जो ब्रजेश ठाकुर के घर से सटी हुई है। तीनों ही अखबारों को बिहार सरकार की ओर से विज्ञापन मिलते हैं और अब भी तीनों ही अखबार हर रोज छपते हैं। ब्रजेश के सियासी रसूख का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि प्रातः कमल जैसे अखबार को भारी सरकारी विज्ञापन मिलने लगे और उसे बिहार सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त पत्रकार का तमगा भी मिल गया। ब्रजेश ठाकुर ने अपने बेटे राहुल आनंद को वर्ष 2016 में जिला परिषद के चुनाव में सकरा-

अपराध

ब्लॉक से मैदान में उतारा। चुनाव हुआ और राहुल आनंद को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद से लगातार ब्रजेश ठाकुर सेवा संकल्प एवं विकास समिति एनजीओ चलाता रहा, जिसमें बालिका गृह भी चलता था। बालिका गृह कांड सामने आने के बाद ब्रजेश ठाकुर और उनके परिवार की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि ब्रजेश ठाकुर का इस एनजीओ से कोई लोना-देना ही नहीं था। जबकि मुजफ्फरपुर बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक देवेश शर्मा के मुताबिक एनजीओ के प्रतिनिधि के तौर पर हमेशा ब्रजेश ठाकुर ने ही उनसे मुलाकात की थी। जानकारी के मुताबिक एनजीओ का सचिव रमेश



कुमार नाम

का कोई व्यक्ति है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन खास बात ये है कि एनजीओ की तरफ से जब भी कोई पत्राचार होता था तो उस पर रमेश कुमार के ही दस्तखत होते थे। लेकिन जैसे ही ब्रजेश ठाकुर गिरफ्तार हुए एनजीओ के सचिव रमेश कुमार के हस्ताक्षर भी बदल गए। ऐसे में ये सवाल उठना लाजिमी है कि क्या ब्रजेश ठाकुर ही रमेश कुमार के फर्जी नाम पर एनजीओ का सचिव बना बैठा था? एक न्यूज चैनल ने ये सवाल समाज कल्याण विभाग से जाननी चाही लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला। इस एनजीओ को सिर्फ बालिका गृह ही नहीं बल्कि और भी कई काम बिहार सरकार ने सौंपे थे। सेवा संकल्प एवं विकास समिति एनजीओ को बालिका गृह, वृद्धाश्रम, अल्पावास गृह, स्वाधार गृह और खुला आश्रम चलाने के

लिए बिहार सरकार हर साल 1 करोड़ रुपए देती थी, लेकिन बालिका गृह कांड सामने आने के बाद ये सभी गृह बंद करा दिए गए हैं।

बहरहाल, बालिका गृह यौन हिंसा और दुष्कर्म मामले की जांच में एक नई बात सामने आयी है। जांच एजेंसी को अब एक मिस्ट्री वुमन मधु की तलाश है, जो ब्रजेश की काली करतूतों की राजदार है। मधु 'लालटेनपट्टी' उजड़ने के बाद पहली बार ब्रजेश ठाकुर के संपर्क में आई थी। मधु ब्रजेश ठाकुर के संगठनों को देखना, चलाया करती थी। मधु तब ब्रजेश के संपर्क में आयी थी जब 2001 में प्रशिक्षु आइपीएस अधिकारी दीपिका सूरी ने मुजफ्फरपुर के रेडलाइट एरिया चतुर्भुज स्थान इलाके में चल रहे देह व्यापार को 'ऑपरेशन उजाला' चलाकर खत्म कर दिया था। अभियान में कई तहखाने मिले, जहां लड़कियों को छुपाकर रखा गया था। मुख्य सरगना के रूप में अनवर मियां का नाम सामने आया। प्रशिक्षु आइपीएस ने मोहल्ला सुधार समिति का गठन कराया। इसमें ब्रजेश ठाकुर की इंटी हुई और मधु सहित 12 लोग इसके सदस्य बने। मोहल्ला सुधार समिति की देखरेख में वहां जागरूकता अभियान चलने लगा। सेवा संकल्प विकास समिति सक्रिय हुई। उसके बाद ब्रजेश ठाकुर ने वहां के समुदाय आधारित संगठन वामा शक्ति वाहिनी का गठन कर उसकी कमान मधु को दे दी। संगठन में प्रमुख सहयोगी मधु की बहन माला, कल्लो बेगम आदि महिलाएं काम करने लगीं। मोहल्ले में बिकने वाली लड़कियों को मुक्त कराना, एचआइवी एड्स के

लिए जागरूक करना, इस संगठन ने अपना मुख्य काम बनाया। मधु के माध्यम से ब्रजेश ने वहां पैठ बनाई। बाद में बालिका सुधार गृह खुल गया, जहां लड़कियों के आने का सिलसिला

शुरू हुआ। रेडलाइट एरिया में केंद्र खुलने के बाद लोगों में यह चर्चा रही कि यह सबसे सुरक्षित जगह है। पहले बनारस के एक 'ईंस' कोठे पर आता था। उसके घर पर खुला सेंटर। इस कमाई से मधु ने अपनी जमीन ली और मकान बनाया। मोहल्ले के ही एक लड़के से शादी की। हालांकि, बाद में उससे रिश्ता ठीक-ठाक नहीं रहा। इधर, ब्रजेश ठाकुर जहां भी जाने को कहता मधु वहां जाती। तीन कोठिया स्थित रानी लॉज में यह संस्था वर्षों तक चली। बाद में आनन-फानन इसे बंद कर दिया गया। इस केंद्र की गतिविधियां संदिग्ध होने की वजह से स्थानीय लोगों में इसे लेकर काफी चर्चा थी। यहां न केंद्र का बोर्ड था और न ही संचालित करनेवाली संस्था का। केंद्र के अंदर आने-जानेवाले को लेकर काफी सख्ती बरती जाती। केंद्र के संचालन का जिम्मा भी मधु के जिम्मे था। हर दिन शाम को ब्रजेश ठाकुर इस केंद्र पर आता था। उसके आते ही यहां की सिक्यूरिटी और कड़ी हो जाती थी। वह यहां काफी देर तक रहता था। स्थानीय लोगों की मानें तो शाम होते ही यहां बड़ी-बड़ी गाड़ियां आकर रुकती थीं। लड़कियों व महिलाएं उसी में सवार होकर चली जाती थीं। सुबह में फिर उन्हीं गाड़ियों से लौटती थीं। संस्था को कई दबांगों व रसूखदारों का समर्थन था, जिसकी वजह से मोहल्ले के लोग चुपचाप रहते थे। बालिका गृह की जांच के खुलासे के बाद यह बात सामने आ रही है कि जब रेडलाइट एरिया में बालिका सुधार गृह चल रहा था, तो वहां से लड़कियों को ब्रजेश के आवासीय परिसर में बने कार्यालय में पेश किया जाता था। वहां जिस लड़की को वह पसंद करता था उससे हाथ मिलाता था और जो पसंद नहीं आती थी उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करता था। पसंद आने पर उसके साथ यौन प्रताड़ना का दौर शुरू हो जाता





तेजस्वी यादव



जीतन राम मांझी



शरद यादव



पप्पू यादव

था। वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ वृद्धाश्रम चल रहा था, मगर संस्था में एक भी वृद्ध नहीं था। स्थानीय लोगों के अनुसार, यह संस्था 2007 से 09 तक चली। इसके बाद बंद कर दिया गया।

इधर, इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के आधार पर जिला बाल कल्याण संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक ने महिला थाने में बालिका गृह का संचालन करने वाले एनजीओ 'सेवा संकल्प एवं विकास समिति' के कर्तारधर्ता और पदाधिकारियों पर केस दर्ज कराया है। पुलिस ने सहायक निदेशक के शिकायती आवेदन के आधार पर धारा 376 और 120 बी के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। एनजीओ से जुड़े सभी लोग फिलहाल फरार बताये जा रहे हैं। बता दें कि पिछले दिनों टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की टीम ने 'समाज कल्याण विभाग' द्वारा संचालित संस्थाओं की सोशल ऑडिट रिपोर्ट 'समाज कल्याण विभाग' पटना के निदेशक को सौंपी। इस रिपोर्ट के पेज नंबर 52 पर मुजफ्फरपुर में चल रहे बालिका गृह के कार्यकलाप पर गम्भीर सवाल उठाये। रिपोर्ट में ऑडिट टीम ने दावा किया कि बालिका गृह में रहने वाली कई बालिकाओं ने यौन उत्पीड़न का खुलासा किया है। वही बालिका गृह की 44 में से 34 बच्चियों से बलात्कार की बात सामने आई है। मुजफ्फरपुर एसएसपी हरप्रीत कौर ने कहा कि अब तक 34 बच्चियों से रेप की पुष्टि हो चुकी है। बता दें कि पहले 29 बच्चियों से रेप की बात की पुष्टी की गई थी। हालांकि, बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने मुजफ्फरपुर जिला स्थित एक बालिका गृह की बालिकाओं के यौन उत्पीड़न मामले की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दे दिये हैं। सरकार की ओर से उसमें कहा गया है कि भ्रम का बातवरण नहीं रहे, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और गृह विभाग के प्रधान

सचिव को तत्काल इस मामले की जांच सीबीआई के सुपुर्द करने का निर्देश दिया है। मामले की तहकीकात निष्पक्ष ढांग से हो, इसके लिए विपक्ष इसकी जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में सीबीआई से कराने की मांग कर रहा था। बिहार विधानसभा और संसद में विपक्षी दलों के सदस्यों द्वारा मामले को सदन में उठाये जाने और इसपर केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद बिहार के पुलिस महानिदेशक के.एस. द्विवेदी ने 24 जुलाई को कहा था, "मैं अपनी जांच से पूरी तरह संतुष्ट हूं, मुझे इसमें कोई खामी नजर नहीं आ रही। इसलिए नहीं लगता कि सीबीआई या अन्य किसी एजेंसी द्वारा जांच किए जाने की आवश्यकता है।" बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने आरोप लगाया कि इसमें समाज कल्याण मंत्री के पति के अलावा बिहार सरकार के एक अन्य मंत्री का भी नाम आया है। हालांकि, इस मामले में समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा और सुरेश शर्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर उनके ऊपर लगे ये आरोप साबित होते हैं तो वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। खुलासे के बाद इस बालिका गृह की गहन जांच शुरू हो गई है। फॉरेंसिक टीम ने यहाँ खुदाई भी की, फिलहाल यहाँ रहने वाली सभी बच्चियों को दूसरे शेल्टर होम में शिफ्ट कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में पिछले दिनों जिला प्रशासन के एक अधिकारी को भी गिरफ्तार किया गया था। दूसरी तरफ, इस पूरे मामले को लेकर आरजेडी के कार्यकारी प्रमुख तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार शेल्टर होम में बच्चियों की सुरक्षा करने में नाकाम रही है। इससे पहले मुजफ्फरपुर बालिका गृह में रही 44 लड़कियों में 42 की मेडिकल जांच कराए जाने पर उनमें से 29 के यौन शोषण की पुष्टि हुई थी। दो लड़कियों के बीमार होने के कारण उनकी जांच नहीं हो पायी। मुजफ्फरपुर बालिका गृह के

संचालक ब्रजेश ठाकुर सहित कुल 10 आरोपियों किरण कुमारी, मंजू देवी, इन्दू कुमारी, चन्दा देवी, नेहा कुमारी, हेमा मर्सीह, विकास कुमार एवं रवि कुमार रौशन को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है और एक अन्य फरार दिलीप कुमार वर्मा की गिरफ्तारी के लिए इश्तेहार दिए गए हैं और कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। विडम्बना देखिए, ऐसे कुकृत्य को आँरोगेनाइज करने वाले अभियुक्तों में दया और करुणा जैसे शब्द मर से गये हैं। इन घटनाओं की जांच में तीन लड़कियों को गर्भवती होने की खबर भी शर्मनाक करती है। बताते चले की मुंबई की प्रतिष्ठित संस्था 'याटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस' से जारी सोशल ऑफिट रिपोर्ट के अनुसार यहाँ रहने वाली लड़कियां नेता से लेकर अधिकारी तक के घरों में भेजी जाती थी। तो अब जांच के बाद हॉस्टल की 44 लड़कियों में 3 गर्भवती पाई गई। बता दें कि यहाँ 6-14 साल की लड़कियों को आश्रय देने की सुविधा है। इस खुलासे के बाद जिला प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। बालिका गृह का संचालन करने वाली संस्था के लोग पहले से ही फरार हैं। जिला प्रशासन ने आनन्द-फानन घर में वहाँ रहने वाली लड़कियों को पटना और मधुबनी स्थानांतरित कर दिया है और बालिका सुधार गृह को सील कर दिया है। रिपोर्ट में टाटा संस्था ने 'सेवा संकल्प एवं विकास समिति' के खिलाफ तत्काल कानूनी प्रक्रिया शुरू करने और गहन छानबीन की सलाह दी गई थी। दूसरे तरफ मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित एक स्वयं सहायता समूह के परिसर से 11 महिलाओं के लापता होने के बाद ठाकुर के खिलाफ एक और प्राथमिकी दर्ज की गई है। मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में रहने वाली लड़कियों का मानसिक, शारीरिक और यौन उत्पीड़न करने के मामले में ठाकुर न्यायिक हिरासत में हैं। महिला थाना प्रभारी ज्योति कुमारी

ने बताया कि ठाकुर के गैर सरकारी संगठन सेवा संकल्प एवं विकास समिति के परिसर से स्वयं सहायता समूह की 11 महिलाओं के लापता होने के मामले में समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक देवेश कुमार शर्मा ने ठाकुर के खिलाफ नई प्राथमिकी दर्ज की है। बच्चियों के यौन उत्पीड़न का मामला पिछले महीने सामने आया था, जिसके बाद एनजीओ को काली सूची में डाल दिया गया था। इसके बाद से एनजीओ द्वारा संचालित अन्य गृहों की स्थिति का निरीक्षण किया जा रहा है। आधिकारिक सूचों ने बताया कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि छोटी कल्याणी इलाकों में स्थित परिसर में रहने वाली स्वयं सहायता समूह की 11 महिलाएं लापता हैं। उनके बारे में एनजीओ ने समाज कल्याण विभाग को आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है।

गौरतलब
हो की मुजफ्फरपुर में शेल्टर होम में 29 बच्चियों से रेप के मामले में बिहार सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पीड़ित बच्चियों ने अपने एक साथी की हत्या कर शव को परिसर में दफनाने का आरोप लगाया है। इसे लेकर

शेल्टर होम में खुदाई की गई। ऐसे में सवाल उठता है कि कैसे प्रशासन की नाक के नीचे इस शेल्टर होम में बच्चियों से इस वारदात को अंजाम दिया गया और कई दिनों तक किसी को कुछ पता भी नहीं चला? वही इस घटना को लेकर कांग्रेस ने बालिकागृह में बच्चियों के साथ यौन शोषण की घटना को लेकर बिहार की जदयू-भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस पूरे मामले की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए। पार्टी ने गैरसरकारी संगठनों की सोशल ऑर्डर रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि राज्य के कुल 15 बालगृहों-बालिकागृहों में बच्चे-बच्चियों के साथ यौन दुर्व्यवहार हुआ है, लेकिन सिर्फ मुजफ्फरपुर के बालिकागृह के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि नीतीश कुमार कभी सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे और अब उनकी सरकार के कुशासन का यह रूप सामने

आया है। हम चाहते हैं कि अन्य 14 बालगृहों-बालिकागृहों के मामलों में भी प्राथमिकी दर्ज हो और सभी की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में सीबीआई जांच हो। मुजफ्फरपुर का मामला संसद में उठने और विभिन्न संगठनों के विरोध प्रदर्शन के बाद बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। साथ ही गोहिल ने दावा किया कि बच्चियों के साथ यौन शोषण के मामले में बिहार की समाज कल्याण मंत्री के पति की भूमिका भी संदेह के घेरे में है और ऐसे में जांच पूरी होने तक मंत्री को पद से हटाया जाना चाहिए। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि मुजफ्फरपुर की घटना के सामने आने के बाद बच्चियों को राज्य में दूसरे स्थानों पर भेजा गया। हमारी मांग है कि बच्चियों की सुरक्षा को

टीम मधुबनी बालिका गृह पहुंची। यहां टीम ने गृह परिसर व कमरों का निरीक्षण किया। इसके बाद कुछेक लड़कियों से पूछताछ की। फिर टीम वापस लौट गई। मालूम हो कि, मुजफ्फरपुर बालिका गृह में रहने वाली 14 लड़कियों को 30 मई को आनन-फानन में मधुबनी शिफ्ट किया गया था। इसमें अधिकांश मानसिक रोग से ग्रस्त थीं। सिर्फ एक लड़की ने पुलिस को बयान दिया। उस लड़की से सीबीआई की टीम ने प्रमुखता से पूछताछ कर उसकी बातों को नोट किया। हालांकि, इसकी अधिकारिक पुष्टि अभी किसी ने नहीं की है। बता दें कि मधुबनी के अलावा पटना व मोकामा में 16-16 लड़कियां शिफ्ट की गई थीं। वही यौन उत्पीड़न कांड के सुरियों में आने के बाद मधुबनी बालिका गृह से एक लड़की गायब हो गई थी। स्थानीय थाने में उसके भाग जाने का केस 12 जुलाई को दर्ज कराया गया था। अबतक उसका सुराग नहीं मिला है। यह लड़की उस जथे में शामिल थी जो मुजफ्फरपुर से मधुबनी शिफ्ट की गई थी। उसके गायब होने को लेकर बालिका गृह प्रबंधन अभी सवालों के घेरे में है।


सनद् रहे कि

मुजफ्फरपुर के बालिका गृह यौन शोषण कांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस चार्जशीट, केस डायरी व वरीय पुलिस अधिकारियों के पर्यवेक्षण रिपोर्ट में मुख्य अरोपी ब्रजेश ठाकुर तथा उसके रैकेट के संचालन में शामिल दलालों व कारिंदों की पूरी फेहरिस्त लिखी गई है। यह भी जात हुआ है कि शोषण की शिकार लड़कियां रातभर चौखटीं रहतीं थीं, लेकिन उन्हें बचाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। ब्रजेश का जाल नेपाल व बांग्लादेश तक फैला था। वह वहां तक लड़कियों की सप्लाई करता था। उसके गुरुओं में शूटर व चलती गाड़ी में दुष्कर्म करवाने वाले भी शामिल थे। मुजफ्फरपुर की सेवा संकल्प एवं विकास समिति से जुड़े ब्रजेश ठाकुर व उसके गुरुओं ने कई चेहरे लगा रखे थे। बाहरी दुनिया में समाजसेवी व पत्रकार का चेहरा लगाकर शराफत की चादर ओढ़ रखी थी। पुलिस ने इस गिरोह के संरक्षक व संचालक के तौर पर ब्रजेश ठाकुर को चिह्नित किया है। ब्रजेश अपने को अखबार






**राजनाथ सिंह,
गृह मंत्री भारत सरकार**



**आमीर सुभानी,
गृह सचिव, बिहार**



**के.एम. द्विवेदी
पुलिस महानिदेशक, बिहार**

का संपादक व एक न्यूज एजेंसी का रिपोर्टर बताकर सरकारी अधिकारियों पर धौंस जमाता था। हालांकि, जेल में जब उससे पूछताछ की गई तो उसने किसी को जानने तक से इनकार कर दिया। उसकी जमानत की अर्जी पर बहस के दौरान कोर्ट में यही बात कही गई थी। पुलिस चार्जशीट, केस डायरी व वरीय पुलिस अधिकारियों के पर्यवेक्षण रिपोर्ट में उसके रैकेट के संचालन में शामिल दलालों व कारिंदों की पूरी फेहरिस्त लिखी गई है। इसमें मध्य, संजय उर्फ झूलन व रमाशंकर मुख्य हैं। इसके अलावा आधा दर्जन लड़कियां भी इस रैकेट में शामिल थीं। इन लड़कियों का काम ग्राहक लाना, लड़की सप्लाई करना, होटल में दारू पहुंचाना था। इससे अवैध कमाई को ब्रजेश को सौंपना था। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रजेश ठाकुर के धंधों में मध्य मुख्य कर्ताधर्ता थी। यह देह व्यापार से जुड़ी थी। सामाजिक जीवन में साफ सुथरी छवि रहे, इसके लिए वह संस्था के कार्यक्रमों में कार्यकर्ता की हैसियत से काम करती थी। उसे वामा शक्ति वाहिनी की कर्ताधर्ता बनाया गया। ऊंची पहुंच के बल पर उसे बेतिया एचआइवी परियोजना दिलाया गया। उसका उपयोग अधिकारियों को अपने पाले में लेकर टेंडर हासिल करने में भी किया जाता था। पत्रकार का चोला पहन कर लोगों के सामने आने वाला संजय उर्फ झूलन गोली चलाने व चलती गाड़ी में रेप करवाने में माहिर है। वह ब्रजेश ठाकुर के शाही कारोबार देखना था। वह सरकारी कार्यालयों में दलाली भी करता था। पटना में वह ब्रजेश ठाकुर के पारिवारिक अखबार का काम भी देखता था। रमाशंकर को अदर्श महिला शिल्प कला केंद्र का सचिव बनाया गया था। उसका असली काम ब्रजेश के काले धंधो का संचालन में सहयोग करना था। ब्रजेश का रैकेट नेपाल व बंगलादेश तक फैला हुआ है। वहाँ के ग्राहक व व्यापारी यहाँ से जुड़े थे। विदेशों में भी लड़कियों को भेजा जाता था। बालिका गृह व सेवा संकल्प एवं विकास समिति एनजीओ से जुड़े वामा शक्ति वाहिनी की मध्य, लेखापाल व भेंडारपाल केवी गुप्ता, नर्स मुन्नी देवी, रसोइया मंजू देवी, सफाई कर्मचारी वृंज देवी, व्यवसायिक परीक्षक किरण मसीह, स्पेशल एजुकेटर पूजा भारती पुलिस की जांच के दायरे में हैं। वही पुलिस के समक्ष ब्रजेश ठाकुर के कुछ पड़ोसियों ने भी अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि ब्रजेश दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उसके भय से वे तथा आसपास के लोग कुछ भी नहीं बोलते थे। उसके काम में कोई हस्तक्षेप भी नहीं करते थे। इन लोगों ने बालिका गृह की बच्चियों के चिल्लाने की कई बार आवाज सुनने का दावा भी किया।

वही इस दुष्कर्म पीड़ित मासूम बच्चियों ने अपनी दर्द भरी आपबीती सुनाई। दस साल की रेप पीड़ित बच्ची ने कहा कि क्रूरता और दुष्कर्म की बजह से वह कई दिनों तक चल नहीं पा रही थी। इतना ही नहीं जांच में लड़की की गुप्तांग पर निशान भी मिले। पीड़ित लड़की ने न्यायिक मजिस्ट्रेट को बताया कि सूरज ढूबने के बाद जैसे ही अंधेरा होता था, सभी लड़कियां डरी हुई रहती थीं। गरते खौफ और सिहरन से भरी होती थीं। नेताजी और हंटरवाले अंकल रेप करते थे। यदि कोई लड़की उनकी बात नहीं मानती थी तो हंटरवाला अंकल बुरी तरह पीटता था। हंटरवाला अंकल से तात्पर्य बालिका गृह संचालक आरोपी ब्रजेश ठाकुर से है, जबकि नेताजी चंद्रशेखर वर्मा को कहा गया है, जो कि बिहार की मंत्री मंजू वर्मा का पति है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़ित लड़कियों ने वर्मा पर भी आरोप लगाया है। हालांकि मंजू वर्मा ने इन आरोपों को आधारविहीन बताया है। दूसरी ओर गिरफ्तार हुए बाल संरक्षण अधिकारी रवि कुमार रोशन की पत्नी का दावा है कि लड़कियां नेताजी मंत्री मंजू वर्मा के पति को कह रही हैं। एक लड़की ने जो बताया वह कंपा देने वाला था। उसके मुताबिक हमें प्रताड़ित किया जाता था। भूखा रखने के साथ ही इंजेक्शन लगाए जाते थे। हर रात लड़कियों के साथ दुष्कर्म होता था। हंटरवाला अंकल किसी भी कमरे में आता था तो लड़कियां बुरी तरह डर जाती थीं। एक अन्य लड़की ने कहा कि उसके साथ एनजीओ के लोगों ने और कई बाहरी लोगों ने कई बार दुष्कर्म किया। कई बार मुझे बालिका गृह से बाहर ले जाया जाता था। मुझे नहीं पता वे लोग कहां ले जाते थे। लेकिन फिर अगले दिन ही वापस लाया जाता था। गैरतलब है कि शेल्टर होम की 44 लड़कियों को रिहा कराया गया। इन लड़कियों में से 34 के साथ रेप की पुष्टि हुई थी, जबकि 3 लड़कियां प्रेनेंट मिली और 3 का ऑवर्शन कराया गया था। आश्रय गृह में मासूम बच्चियों के साथ दरिद्री का जो घिनौना खेल खेला गया, उसकी आपबीती सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बालिका गृह में रहने वाली पीड़ित बच्चियों ने पूछताछ के दौरान अपने साथ हुए जुल्मो-सितम की जो दर्दनाक कहानी सुनाई है, वह यह बताता है कि समाज में जिनके ऊपर रक्षा करने की जिम्मेवारी है, वही किस कदर राक्षसी

प्रवृत्ति से भक्षक बना बैठा है। दरअसल, मुजफ्फरपुर बाल संरक्षण पदाधिकारी रवि रौशन के खिलाफ बच्चों ने जो बयान दिये हैं, वह काफी चौंकाने वाले हैं। दरअसल, मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में अब तक 44 में से 34 बच्चों के साथ रेप की पुष्टि हो गई है। बता दें कि बिहार सरकार इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे चुकी है। बहरहाल, मुजफ्फरपुर के बाल संरक्षण पदाधिकारी रहे रवि रौशन के खिलाफ बच्चों ने जो बयान दिये हैं, वह काफी डरावने हैं। इस मामले में पुलिस ने रवि रौशन के खिलाफ भी चार्जस्टीट दाखिल की है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि रवि रौशन की पत्नी के बयान के बाद ही समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति पर भी आरोप लगे हैं। बालिका गृह के सीपीओ रवि कुमार रोशन की पत्नी ने मुजफ्फरपुर में पत्रकारों से कहा कि उनके पति को एक साजिश के तहत इस मामले में फँसाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति ने उक्त बालिका गृह को, जहां वह संचालित था, वहां से किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करने और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने को लेकर समाज कल्याण विभाग को पत्र लिखा गया था। महिला ने पूछा कि उनके पति द्वारा लिखे गए पत्र पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। महिला ने यह भी पूछा कि समाज कल्याण विभाग की मंत्री मंजू वर्मा के पति चंदेश्वर वर्मा उक्त बालिका गृह में अपने साथ जाने वाले अधिकारियों को बाहर छोड़कर उसके भीतर क्या करने जाते थे। वहां की लड़कियां उन्हें नेता जी के तौर पर जानती थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि चंदेश्वर को बचाने के लिए इस मामले में उनके पति को फँसाया गया है। महिला ने कहा कि उनके पति एक गरीब किसान के बेटे हैं और पूरी निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि उनका पति निर्दोष है इसलिए वह इसकी सीबीआई से जांच चाहती हैं। वहीं मंत्री के पति ने मीडिया के एक वर्ग द्वारा इस बाबत पूछे जाने पर कहा कि उनकी पत्नी के पहली बार मंत्री बनने के बाद, 2016 में वह उनके साथ घूमने की नीत से उनके और समाज कल्याण विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वहां का निरीक्षण करने के क्रम में बालिका गृह गए थे और उसके बाद आजतक कभी भी वह अकेले मुजफ्फरपुर नहीं गए।

बताते चले कि बिहार में समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप कांड में फँसती नजर आ रही हैं। इस मामले में एक आरोपी अधिकारी की पत्नी के आरोप पर मंत्री



मंजू वर्मा के पति ने स्वीकार किया है कि वह मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में रेप कांड में 29 बच्चों के साथ बलात्कार किया गया है, दरअसल इस मामले में एक मुख्य आरोपी और जिला बाल संरक्षण अधिकारी रवि रोशन की पत्नी ने आरोप लगाया कि मंत्री मंजू वर्मा के पति का भी उस सुधार गृह में आना जाना था। आरोपी रोशन, जिनके ऊपर एक से अधिक बालिकाओं ने मजिस्ट्रेट के सामने गंभीर आरोप लगाये हैं, उनकी पत्नी शिवा कुमारी सिंह ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए मंत्री के पति पर ये आरोप लगाया है। हालांकि, इस घटना के बाद इसकी गंभीरता को नकारने वाली मंजू वर्मा ने अपना बचाव किया है और कहा है कि ये आरोप उनके विरोधियों, खासकर तेजस्वी यादव के इशारे पर लगाया जा रहा है। वहीं, मंत्री के पति चंद्रशेखर वर्मा का कहना है कि एक बार वह जरूर गये थे, लेकिन उसके बाद वह कभी नहीं गये। निश्चित रूप से चंद्रशेखर का ये स्वीकार करना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इस बीच पटना हाईकोर्ट में इस मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई होगी, इसके साथ मुजफ्फरपुर पुलिस इस मामले में अपनी पहली चार्ज शीट भी दायर कर सकती है। हालांकि मुजफ्फरपुर में बालिका आश्रय गृह में 34 बच्चों से रेप मामले में लग रहे आरोपों को दोनों मंत्रियों ने आधारविहीन बताते हुए खारिज कर दिया। समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा और नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने कहा कि अगर आरोप सिद्ध हुए तो वे

मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। बिहार सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच का फैसला लिया है। समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा ने अपने सरकारी आवास पर पत्रकार वार्ता में अपने पति चंद्रशेखर वर्मा पर मुजफ्फरपुर बालिका गृह के सीपीओ रवि कुमार रोशन की पत्नी के आरोपों का खंडन किया। मंजू ने आरोप लगाया कि वह पिछड़ी और कमज़ोर जाति (कुशवाहा समुदाय) से हैं इसलिए उनके पति को मोहरा बनाया गया है। जेल में बंद सीपीओ रवि की पत्नी ने मंजू वर्मा के पति पर बालिका गृह में अपने साथ जाने वाले अधिकारियों को बाहर छोड़कर उसके भीतर जाने का आरोप लगाते हुए बताया था कि वहां की लड़कियां उन्हें नेता जी के तौर पर जानती थीं। विषय के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मंजू वर्मा को बर्खास्त करने की मांग की थी। मंजू वर्मा ने कहा कि बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के दौरे के बाद साजिश के तहत आरोपी की पत्नी को उनके पति पर बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए उकसाया गया। उधर, नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर पलटवार किया। सुरेश शर्मा ने मीडिया से कहा कि वह उन्हें चुनौती देते हैं कि अगर इस मामले में उनकी कहीं से भी कोई सलिलता साबित कर देते हैं तो वह मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। साथ ही चुनौती दी कि आरोप साबित नहीं होने पर तेजस्वी प्रतिपक्ष के नेता और विधायक पद से इस्तीफा दे दें। उन्होंने मानवानि नोटिस भेजने की भी बात कही। तेजस्वी प्रसाद यादव ने सुरेश शर्मा का नाम लिए बिना आरोप लगाया था कि इस मामले में बिहार सरकार के



कुमारी मंजू वर्मा
मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार

एक स्थानीय मंत्री की भी सलिलता की चर्चा है जो कि हाल में पश्चिम बंगाल की यात्रा के क्रम में कारनामा (एक होटल में मारपीट) किया था। इससे पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य सरकार द्वारा इस मामले को सीबीआई को सौंपे जाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश को धन्यवाद दिया, साथ ही पटना उच्च न्यायालय में मामले की अगली सुनवाई के समय निगरानी का आग्रह करने की बात कही। उधर, इस मामले को लेकर पटना उच्च न्यायालय में जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि

रंजन और न्यायमूर्ति एस कुमार को खड़पीठ को महाधिक्रता ललित किशोर ने बताया कि राज्य सरकार ने सीबीआई जांच का फैसला लिया है।


गैरतलब हो कि बालिका गृह में बच्चियों से बलात्कार के मामले में सीबीआई ने राज्य सरकार के अनुरोध और भारत सरकार की सिफारिश के बाद पर केस दर्ज कर लिया है। मामले में मुजफ्फरपुर स्थित साहुरोड में बालिका आश्रय गृह के अधिकारियों और कर्मचारियों को आरोपी बनाया गया है। बता दें कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप कांड में 44 बच्चियों में से अब तक 34 बच्चियों के साथ बलात्कार की पुष्टि हुई है। सीबीआई ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि ये अधिकारी और कर्मचारी सेवा संकल्प एवं विकास समिति नाम से संचालित बालिका गृह की बच्चियों का ये अधिकारी



चन्द्रेश्वर वर्मा
पति, मंत्री कुमारी मंजू वर्मा

शारीरिक, मानसिक रूप से शोषण करते थे। गैरतलब है कि मुजफ्फरपुर एसएसपी हरप्रीत कौर ने कहा कि अब तक 34 बच्चियों से रेप की पुष्टि हुई है। बता दें कि पहले 29 बच्चियों से रेप की बात पुष्ट हुई थी। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने मुजफ्फरपुर जिला स्थित एक बालिका गृह की बालिकाओं के यौन उत्पीड़न मामले की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दे दिये थे। बता दें कि बीते दिनों सरकार की ओर से उसमें कहा गया कि

भ्रम का



सुरेश शर्मा
मंत्री, नगर विकास विभाग, बिहार

के बाद बिहार के पुलिस महानिदेशक के एस ड्विवेदी ने 24 जुलाई को कहा था, “मैं अपनी जांच से पूरी तरह संतुष्ट हूं। मुझे इसमें कोई खामी नजर नहीं आ रही। इसलिए नहीं लगता कि सीबीआई या अन्य किसी एजेंसी द्वारा जांच किए जाने की आवश्यकता है।” इसके अलावा इससे पहले मुजफ्फरपुर बालिका गृह में रही 44 लड़कियों में 42 की मेडिकल जांच कराए जाने पर उनमें से 34 के यौन शोषण की पुष्टि हुई थी। दो लड़कियों के बीमार होने के कारण उनकी जांच नहीं हो पायी है।

मुजफ्फरपुर बालिका गृह के संचालक ब्रजेश ठाकुर सहित कुल 10 आरोपियों किरण कुमारी, मंजू देवी, इन्दू कुमारी, चन्दा देवी, नेहा कुमारी, हेमा मसीह, विकास कुमार एवं रवि कुमार रौशन को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। एक

अन्य फरार दिलोप कुमार वर्मा की गिरफ्तारी के लिए इश्तेहार दिए गए हैं और कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ यौन शोषण के मामले में पटना हाईकोर्ट के बाद अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया है। मीडिया में आई खबरों के आधार पर आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव व डीजीपी को जांच कर दो सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा है। वहीं तीन अन्य बिंदुओं पर अलग से जांच को कहा है। आयोग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया कि मीडिया की खबर अगर सही है तो यह गंभीर मामला है। एनजीओ द्वारा चलाए जा रहे बालिका गृह में रहने वाली



वातावरण नहीं रहे,

इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और गृह विभाग के प्रधान सचिव को तत्काल इस मामले की जांच सीबीआई के सुरुद करने का निर्देश दिया। मामले की तहकीकात निष्पक्ष ढंग से हो, इसके लिए विपक्ष इसकी जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में सीबीआई से कराने की मांग कर रहा था। बिहार विधानसभा और संसद में विपक्षी दलों के सदस्यों द्वारा मामला सदन में उठाये जाने और इसपर केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह के बयान

44 में से 34 लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न होना मानवाधिकार का हनन है। वहीं एक लड़की की हत्या कर उसके शव को बालिका गृह परिसर में दफनाने की बात भी कही जा रही। परिसर की खोदाई कर मिटटी को जांच के लिए एफएसएल भेजा गया है। आयोग के अनुसार जहां लड़कियों की हिफाजत होनी चाहिए वहां उसके साथ दुष्कर्म हुआ। इसमें बालिका गृह के कर्मी व सरकारी अधिकारी की सलिलपता सामने आ रही है। राज्य सरकार व स्थानीय प्रशासन पीड़ित लड़कियों के सम्मान व अधिकार को बचा पाने में असफल रहे। इसे देखते हुए पूरे मामले की जांच कर दो सप्ताह में रिपोर्ट दें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा कुछ बिन्दुओं पर जवाब मांगा है, जिनमें समाज कल्याण विभाग ने उक्त बालिका गृह को किस आधार पर स्वीकृति दी। इसकी मॉनीटरिंग के लिए कौन सी व्यवस्था की गई थी? अगर यहां मॉनीटरिंग सिस्टम था, तो इस तरह की घटना कैसे हुई? दूसरे बिन्दु में पूछा गया है कि पीड़ितों में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति लड़कियां तो नहीं? अगर हैं तो पुलिस ने प्राथमिकी में एससी-एसटी अत्याचार अधिनियम की धारा जोड़ी या नहीं? और तीसरा बिन्दु है कि मीडिया को रिपोर्ट में कई अधिकारियों के शामिल होने की बात कही जा रही है। अगर यह सही है तो उसकी भी रिपोर्ट भेजी जाए।

गैरतलब हो की इस घटना को लेकर सभी विपक्षी पार्टियों ने तूल पकड़ रखा है तो वही प्रतिपक्ष के नेता व पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सीबीआई जांच को लेकर नीतीश कुमार और उनकी सरकार को आड़े हाथों लिया है। मुजफ्फरपुर में बालिका गृह में बच्चियों से रेप के मामले में तेजस्वी ने कहा कि आखिर नीतीश कुमार की सरकार सीबीआई जांच की मंजूरी क्यों नहीं दे रही है। बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बालिका आश्रय गृह में पूर्व में रह चुकी एक लड़की ने आरोप लगाया था कि उसकी एक साथी की पीट-पीटकर हत्या कर दी गयी और उसे परिसर में दफन कर दिया गया एवं कई के साथ बलात्कार किया गया। इन आरोपों के बाद बिहार पुलिस ने जांच शुरू की है और शव को ढूँढ़ने के लिए उन्होंने बालिका

आश्रय गृह के परिसर की खुदाई भी की। तेजस्वी ने इस मामले पर एक अखबार की कटिंग शेयर करते हुए ट्वीट किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील मोदी पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने ट्वीट किया- ‘ऐसा नरपिशाच और दरिंदा बलात्कारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दुलारा है, आंखों का तारा है, सुशील मोदी का सितारा है, तभी तो नीतीश कुमार हाईकोर्ट मॉनिटर्ट सीबीआई जांच की मंजूरी नहीं दे सके हैं। क्या माजरा है चाचा?’ तेजस्वी ने एक और ट्वीट कर कहा- ‘महागठबंधन के वरिष्ठ सहयोगियों के साथ मुजफ्फरपुर बालिका गृह बलात्कार कांड की स्थितियों और कारवाई का जायजा लेने मुजफ्फरपुर जा रहा हूं। नीतीश कुमार का बलात्कारियों के साथ क्या संबंध है? क्यों CBI जांच से भाग रहे हैं? क्यों घबरायें हुए हैं? किसका डर है? महागठबंधन के वरिष्ठ

की गंभीरता को देखते हुए हम चाहेंगे कि यह जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में हो।’

बहरहाल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आखिरकार मुजफ्फरपुर बाल आश्रय गृह में हुए यौन शोषण कांड की जांच सीबीआई को दे ही दी। इस सम्बंधमें उन्होंने इसके विधि वत आदेश दिये। बता दें कि इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। माना जाता है कि सीबीआई जांच का आदेश देने का फैसला नीतीश कुमार इस मामले में हर दिन एक नया खुलासा होने के बाद किया है, हालांकि विपक्षी दलों का कहना है कि ये उनके दबाव में किया गया है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने विपक्ष के सदन से सड़क तक आंदोलन के कारण फैसला लिया है। हालांकि, इसके पीछे मंत्री मंजूर वर्मा और उनके पति

का नाम आने के बाद भी इस निर्णय का एक कारण बताया जा रहा है। इस मुद्दे पर बिहार विधान सभा में हंगामे के दौरान संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि अगर किसी के पास किसी के खिलाफ साक्ष्य हो तब वो सीबीआई के सामने दो। लेकिन

सीबीआई से जांच के बाद ये माना जाता है कि अब मुख्य आरोपियों जैसे ब्रजेश ठाकुर के साथ एक बार फिर पूछताछ हो सकती है। मुजफ्फरपुर पुलिस की जांच के दौरान कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर के साथ जेल में पूछताछ का आदेश दिया था, जिसमें उसने सहयोग नहीं किया था। वही राष्ट्रीय जनता दल और बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के

नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने राज्य में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति के विरोध में गया से पटना तक की साइकिल यात्रा की शुरुआत की और आरोप लगाया कि प्रदेश में राक्षस राज कायम हो गया है। बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर में पूजा-अर्चना और ध्यान के बाद ‘लूट, हत्या, बलात्कार, अब नहीं सहेग बिहार, उखाड़ फेंको नीतीश सरकार’ के नारे के साथ ‘एनडीए भगाओ, बेटी बचाओ’ साइकिल यात्रा पर निकले यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन में कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा



है। यहां तक कि सरकार की देखरेख में चल रहे अल्पावास गृह में भी लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर बालिका अल्पावास गृह में 34 बच्चियों के साथ यौन शोषण की शर्मनाक घटना हुई है, जहां राज्य सरकार के अधिकारी लगातार निरीक्षण करते थे। बारिश के बीच साइकिल यात्रा पर निकले पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह चरमरा गई है। ऐसा लगता है कि बिहार में राक्षस राज आ गया है। कहीं दुर्योधन द्वापदी का चीरहरण कर रहा है तो कहीं रावण सीता मङ्गल का अपहरण कर रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में अभी रावण और दुर्योधन की सरकार चल रही है। सरकार अपराधियों पर कार्रवाई करने के बजाय उसे बचाने का प्रयास कर रही है। दूसरी तरफ सीतामढी जिले के स्थानीय परिसदन में संवादाताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री सह लोकतांत्रिक जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राम ने कहा कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड राज्य, देश व मानवता को शर्मशार करने वाली घटना है। इससे बिहार के माथे पर कलंक का काला धब्बा लगा है। अनाथ, मजबूर और बेसहारा बेटियों के साथ जो जुल्म और अत्याचार बालिका गृह में हुआ इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनकी चीत्कार और पीड़ा शासन-प्रशासन की उदासीनता और लापरवाही का नमूना है। इसकी जितनी भी भर्तसना की जाए वह कम है। उन्होंने प्रदेश की नीतीश सरकार व केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि देश में दिनों दिन आर्थिक, सामाजिक, सामरिक व सुरक्षा व्यवस्था गिरती जा रही है। नोटबंदी हो अथवा अन्य कार्रवाई सभी महज झूठ की पोटली है। पार्टी द्वारा सरकार से इस कांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई थी। मगर शुरू में इंकार किया गया अब इस मामले को दबाने के लिए सीबीआई जांच कराई जा रही है। अब तक जितने भी कांड

सीबीआई को दी गई किसी का पर्दाफाश नहीं हो सका और नहीं किसी कांड में किसी दोषी को सजा ही मिल सकी है। उन्होंने सरकार से सीबीआई जांच की मॉनीटरिंग सुप्रीम कोर्ट के कार्यरत किसी जज से कराने की मांग की। कहा कि इस कांड में बड़े रसूखवाले लोगों की संलिप्तता उजागर होने के आसार हैं। वही लोकतांत्रिक जनता दल की ओर से बालिका गृह यौन हिंसा के खिलाफ लगातार विरोध जारी है। लोकतांत्रिक जनता दल आंदोलन की राह पर है। संगठन की ओर से कैंडिल मार्च निकाला गया जो अमर शहीद खुदाईम बोस स्मारक स्थल से शुरू होकर गांधी स्मारक सरैयांगं टावर पर समाप्त हुआ। पार्टी के राष्ट्रीय नेता पूर्व सांसद अर्जुन राय ने कहा कि बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा तबतक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जिसका कोई नहीं वैसी बच्ची को बालिका गृह में रखा जाता है। वहां पर प्रशासन के सारे वरीय अधिकारी यहां तक की न्यायपालिका की निगरानी रहती है, लेकिन जब वहां पर भी बेटी सुरक्षित नहीं तो भगवान मालिक है। अस्पताल, सरकारी छात्रावास पर तो सुरक्षा के साथ लोगों का भरोसा रहता है। बालिका गृह की घटना ने प्रशासन के पूरे सिस्टम से विश्वास तोड़ा है। इसलिए सरकार सीबीआई से जांच को राजी है तो उसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट के जज करें। इस घटना से केवल मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरा बिहार शर्मशार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नैतिक जवाबदेही लेनी चाहिए। पूर्व सांसद अर्जुन राय ने आरोप लगाया कि बालिका गृह यौन हिंसा मामले के संरक्षक ब्रजेश ठाकुर के साथ उनके करीबी रिश्तेदारों व सहयोगियों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। पूरी घटना ने सरकारी सिस्टम पर सवाल उठाया। बालिका गृह पर निगरानी के लिए हर स्तर पर कमेटी है, लेकिन किसी ने बेटियों की इन्जित बचाने की पहल नहीं की। सरकार के संरक्षण में पूरा खेल चलता रहा।

सीबीआई जांच पर सवाल उठाते हुए पूर्व सांसद ने कहा कि उत्तर बिहार के तीन मामले उसके पास हैं, लेकिन किसी में कुछ विशेष नहीं हो रहा। पीड़ित परिवार न्याय के लिए भटक रहा है। नवरुणा, रीतू व शबनम हत्याकांड इसके उदाहरण हैं। मामले की जांच समय-सीमा में हो। लोजद के राष्ट्रीय कार्यकारणी सदस्य निरंजन राय ने भी घटना की निंदा करते हुए कहा कि कैंडिल मार्च के बाद आगे भी आंदोलन जारी रहेगी।

बताते चले की कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार में बालिका आश्रय गृह में बच्चियों के साथ दुष्कर्म मामले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह कहानी उनकी है, जिनमें से एक आश्वासन देता है और एक सुशासन देने का वादा करता है। इस मामले को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया। राहुल गांधी ने लिखा कि आश्वासन बाबू और सुशासन बाबू की कहानी....हमने सुना कि एक निर्वाचित व्यक्ति ने बेटी बचाओ का महज एक नारा दिया है। ट्वीट के साथ ही राहुल ने दुष्कर्म मामले पर एक खबर भी पोस्ट की। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का नारा राजग सरकार ने दिया है। वहीं नीतीश कुमार के सुशासन के नारे के कारण उन्हें अक्सर सुशासन बाबू कहा जाता है। कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी पार्टियों ने मोदी पर ऐसे झूठे बादे करने तथा ऐसे आश्वासन देने के आरोप लगाए हैं जो कभी पूरे नहीं किए जाते। बहरहाल, बालिका गृह में हुए यौन शोषण की घटना के विरोध में वामपंथी पार्टियों ने बिहार बंद का आह्वान किया है। बिहार बंद का असर कई जहां पर देखने को मिला। आरा, गया, जहानाबाद, शेखपुरा, नालंदा में वाम दलों के समर्थकों ने ट्रेन रोके रखा, तो कई जगहों पर सड़क यातायात भी प्रदर्शनकारी बाधित करते दिखे। आरा में वाम दलों के बिहार बंद का खासा असर दिखा है। पीरों के लोहिया चौक, बिहियां के नवोदय विद्यालय

मोड़, जगदीशपुर के नयका टोला मोड़ और चरपोखरी ब्लॉक के पास माले कार्यकर्ताओं ने सड़क को जाम कर दिया था।

विडम्बना देखिए, पिछले कई दिनों से संसद से बिहार विधानसभा के दोनों सदनों में एक ही मुद्दे पर हंगामा हो रहा है, वह है राज्य के मुजफ्फरपुर में एक बालिका गृह से सम्बंधित स्कैंडल का। खुद पुलिस और समाज कल्याण विभाग द्वारा अब तक 44 बालिकाओं की मेडिकल रिपोर्ट में 34 बालिकाओं के साथ यौन शोषण की जब से पुष्टि हुई है तब से पूरे देश में इस घटना की चर्चा तेज हुई है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने विधानसभा के अंदर इस मुद्दे पर जवाब दिया, लेकिन जिस तरह मंत्री श्रवण कुमार ने अनमने तरीके से पूरा बयान पढ़ा उससे लगा कि जैसे बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला विपक्ष संवेदनहीन है। वैसे नीतीश कुमार भी इस मुद्दे पर खुद कुछ बोलने से बच रहे हैं। वहीं बिहार में विपक्ष ने, खासकर तेजस्वी

यादव ने नीतीश कुमार के सामने घुटने टेक दिए हो ऐसा प्रतीत हो रहा था। बताते चले की घटना के शुरूआती दौड़ में तेजस्वी ने इसे गंभीर नहीं लिया तथा उस वक्त तक उन्होंने एक बार भी मुजफ्फरपुर जाकर न तो उस बालिका गृह का निरीक्षण किया, स्थानीय अधिकारियों से बात करना बेहतर समझा और न ही जब सरकार जवाब दे रही थी तब सदन में उपस्थित रहना जरूरी समझा। तेजस्वी अपने घर पर थे और विधानसभा में उनकी पार्टी के विधायक शर्म से सर झुकाए थूम रहे थे। इन सभी मामलों में विपक्ष की एक अहम भूमिका होती है, लेकिन तेजस्वी दिन भर में कुछ ट्वीट और

एक से अधिक

कभी कुछ गलत नहीं पाते थे। लेकिन शायद नीतीश कुमार को अंदाजा नहीं है कि ये एक ऐसा विषय है जिस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति उनके भविष्य और उनकी व्यक्तिगत छवि के लिए महंगा पड़ सकता है। बीते दिनों जब केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में कहा कि अगर बिहार सरकार अनुशंसा करे तो उसे सीबीआई से जांच कराने में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पर पहले राज्य के पुलिस महानिदेशक और फिर विपक्ष के बहिष्कार के बीच सरकार की तरफ

से कार्रवाई का व्याख्यान किया गया। इससे साफ था कि हर मामले में सीबीआई जांच देने में देर न करने वाले नीतीश कुमार कहीं न कहीं इस मामले में चूक रहे हैं। हो सकता है अन्य बिहारियों की तरह सीबीआई जांच पर उन्हें भी बहुत भरोसा नहीं, क्योंकि सीबीआई को उन्होंने ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्या कांड का

मामला हो या मुजफ्फरपुर

का नवरूना हत्याकांड हो या सृजन स्कैम, सब में जांच से सबको निराशा हाथ लगी है। सृजन घोटाले में सीबीआई आज तक इसके मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जो जांच एजेंसी के इतिहास में एक काला धब्बा है। हालांकि ये एक ऐसा स्कैंडल हैं जिसमें मीडिया की भूमिका भी एक अपराधी की रही है। मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर ने एक पत्रकार की हैसियत से अपनी पहुंच का जमकर फायदा उठाया। हालांकि स्कैंडल प्रकाश में आने के बाद इस पर रिपोर्टिंग जमकर हुई लेकिन मीडिया की भूमिका एक मुख्य आरोपी की रही है। आने वाले समय में वैसे पत्रकार को जो अपनी मीडिया की पहचान पर गोरखधंधे करते हैं उन पर नकल कसी जाए तो मीडिया वालों को शिकायत करने का कोई आधार नहीं है, लेकिन सवाल है कि बिहार पुलिस जिसने अभी तक जांच की है, क्या उसकी जांच पर भरोसा किया जा सकता है। निश्चित रूप से अभी तक पुलिस ने किसी को बचाया नहीं है लेकिन जहां सरकार के एक से अधिक विभागों के अधिकारियों की संलिप्तता हो, खुद पुलिस की महिला शाखा की चूक हो, वहां एक सीमा के बाद शायद निष्पक्ष जांच की उम्मीद करना बेकार होगा।

गौरतलब हो कि बिहार का मुजफ्फरपुर



बार टीवी

चैनल को बाइट देकर अपनी भूमिका की इतिहासी कर लेते हैं। जब से ये स्कैंडल सामने आया है, तेजस्वी के पास अपने परिवार के साथ विदेश भ्रमण के अलावा मुंबई जाकर शादी में भाग लेने का समय नहीं। हालांकि बाद में तेजस्वी ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह का दौरा किया किन्तु इससे यह तो जरूर प्रतीत हुआ कि तेजस्वी सुस्त हैं, किन्तु तेजस्वी अगर सुस्त है तो नीतीश कुमार कोई बहुत चुस्त और मुस्तैद नहीं। कम से कम नीतीश बिहार में, जहां उनका शासन चौदह वर्षों से चल रहा है वहां इस घटना से ये बात साधित हुआ कि वे अपने राज्य की बच्चियों की अस्मिता बचाने में विफल रहे। सारा दुष्कर्म बालिका गृह में कथित रूप से हुआ। नीतीश कुमार भले इस बात पर अपनी पीठ थपथपा ले कि उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट से न केवल ऑडिट करवाया बल्कि त्वरित कार्रवाई की। तीन दिनों के अंदर एक साथ दस आरोपियों को जेल भेजा। इनमें सरकारी कर्मचारी और महिला कर्मी शामिल हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जो उस बाल गृह का निरीक्षण कर



जिला लीचियों के लिए फेमस रहने वाला इस बार बलिका गृह में बच्चियों के साथ घिनौने कृत्य का गवाह बना हुआ है। असहाय, मजबूर बच्चियों से बलात्कार का गवाह बना मुजफ्फरपुर काफी समय से चीख-चीख कर अपनी दास्तां सुना रहा था, मगर इसकी गूँज को, तंत्र और अपराधियों के पद्यंत्र ने ऐसे दबाए रखा कि महीनों-महीनों तक मीडिया को इसकी भनक तक न लगी। मगर अफसोस, मुजफ्फरपुर की जुर्म की दीवारें इतनी ऊँची हो चुकी हैं कि लाख पुलिसिया मुस्तैदी के बाद भी उसमें दरार पड़ने का नाम नहीं ले रही। बहराहाल, इस बार का मामला नवरुणा कांड से भी ज्यादा सिहरन पैदा करने वाला है। नवरुणा कांड का तो अभी तक स्पष्ट कुछ पता ही नहीं, मगर यहां 34 बच्चियों से बलात्कार हुआ है, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। 34 बच्चियों से रेप की घटना ऐसी जगह पर हुई है, जहां अनाथ, भूली-भट्टी और बेसहारा बच्चियों को रखा जाता है। बलिका आश्रय गृह ऐसी बच्चियों का एक ऐसा ठौर-ठिकाना होता है, जहां सरकार और एनजीओ की मदद से उसे जीवन का सहारा दिया जाता है, मगर मुजफ्फरपुर की घटना ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिये हैं। अब जरा सोचिये, जहां समूह में रह रहीं बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं, वहां सड़क पर चलती एक बच्ची कैसे सुरक्षित रहेगी? हैरान करने वाली बात है कि इस आश्रय गृह में 44 बच्चियां थीं, जिनमें से 34 के साथ बलात्कार की पुष्टि की गई है। यानी इस शेल्टर में बच्चियों की अस्तमत को लूटने का इन दरिंदों ने जो घिनौना खेल रखा है, वह सभ्य समाज के मुंह पर किसी काले धब्बे से कम नहीं है। मुजफ्फरपुर को बौद्धिक लोगों का शहर कहा जाता है, मगर उनकी बौद्धिकता पर सवाल उस बक्त खड़े हो जाते हैं, जब शहर के बीचो-बीच स्थित एक शेल्टर होम में 34 बच्चियों के साथ बलात्कार होता है। उन मासूमों की आवाजों से दीवारें भी सहम उठती हैं, मगर उनकी गूँज वहां के समाज को नहीं सुनाई देती। जब इन मासूमों की गूँज एक-दो खबरों और रिपोर्टों के आधार पर सुनाई भी देती है तो वहां के लोगों को इस बात पर हैरानी, बेचैनी नहीं होती? स्थानीय मीडिया को इस बात की बेचौनी क्यों नहीं होती कि 34 बच्चियों से बलात्कार हुआ और अपराधी कानून की गिरफ्त से आजाद हैं। जिस शहर के लोग अन्य शहर की बेटियों की सुरक्षा के सवाल पर चुप नहीं होते, वह अपनी बेटियों के बलात्कार पर ऐसे खामोश क्यों हैं? जो छेड़खानी और बलात्कार की घटना पर सबसे आगे आकर कैंडल मार्च



हरप्रीत कौर एसएसपी, मुजफ्फरपुर

निकालता रहा है, जो बहन-बेटी की सुरक्षा के लिए आवाज बुलंद करने के लिए अकसर मुखर रहा, वह अपने ही अंगन में हुए इस कांड पर आखिर इतने दिनों तक चुप कैसे रहा? आखिर क्यों शहर बेचैन और व्याकुल नहीं हुआ, आखिर क्यों 34 बच्चियों की सिसकी शहर के कानों में नहीं पड़ी। अगर पड़ी भी तो क्या वह अपराधियों और जुर्म के आकाओं के आगे इतने बेबस हो चुके थे, कि वे मौन धारण कर न तमस्तक हो गये। खैर, जब 34 बच्चियों से बलात्कार पर मीडिया की कलम ही नहीं चल पा रही थी, तो आखिर आम इंसान के कदम धय के माहौल में कैसे आगे बढ़ते। लोगों की चुप्पी, तंत्र, पद्यंत्र और दंबंग के सामने समझ आती है, मगर मीडिया की चुप्पी अभी भी समझ से परे है। काफी समय से यह खेल चल रहा था, मगर मीडिया चुप्पी का नकाब ओढ़े रहा। सिस्टम में लगे दीमक से मीडिया भी डरता रहा या जानबूझकर उसने सरोकार का समाचार नहीं समझा। दरअसल, इस पूरे मामले में मीडिया की चुप्पी भी हमें डराती है, यह उस समाज को डराती है, जो यह मानकर चलता है कि कम से कम मीडिया में उसकी आवाज को तरजीह दी ही जाएगी। मगर भला हो सोशल मीडिया और कुछेक पत्रकारों का कि इस मुद्दे को दबाने के लाख प्रयासों के बाद भी यह आखिरकार सामने आ ही गया। दरअसल, टाटा इंस्टियूट ऑफ सोशल साइंस ने 23 अप्रैल को बिहार समाज कल्याण विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। कुछ स्थानीय मीडिया को अगर उन बच्चियों की चीखें सुनाई नहीं देती और कुछ-एक मीडिया इसकी रिपोर्ट न छापता तो शायद यह भयावह आंकड़ा और भी

भयावह होता। इस मामले पर से धीरे-धीरे पर्दा हटने लगा, मगर बावजूद इसके प्रशासन की सक्रियता अपने चौर-परिचित अंदाज में दिखा। अब जब मामला सामने आ गया है तो इसकी गूँज संसद तक सुनाई दी। चारों ओर से सीबीआई जांच की मांग की जाने लगी, केंद्र ने भी यह स्पष्ट कर दिया था कि अगर बिहार सरकार चाहे तो वह इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे सकता है। मगर अब यहां सवाल उठता है कि मुजफ्फरपुर के ही नवरुणा कांड का मसला इतने सालों से सीबीआई नहीं सुलझा पाई है तो यह क्यों न समझा जाए कि इस मामले की हालत कुछ वैसी ही होगी। 12 साल की नवरुणा का अपहरण 18 सितंबर 2012 को हो जाता है, लेकिन इतने साल बाद भी अभी तक इस मामले का निपटारा नहीं हो पाया है। हैरान करने वाली बात है कि नवरुणा कांड का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। मुजफ्फरपुर का चर्चित नवरुणा कांड भले ही सीबीआई के पास है, लेकिन अभी तक यह उलझा पड़ा है। पहले स्थानीय पुलिस, फिर सीआईडी और फरवरी 2015 में सीबीआई ने मामले की जांच को अपने हाथ में लिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अभी तक सीबीआई किसी अंतिम निष्कर्ष की ओर जाती दिख भी नहीं रही है।

खैर, मुजफ्फरपुर में प्रशासन और अपराधियों की मिली-भगत किसी से छुपी नहीं है, मगर इस बलात्कार कांड ने एक बार फिर से इस बात को पुष्ट कर दिया है कि सिस्टम किस कदर बर्बाद हो चुका है। हैरान करने वाली बात है कि इसमें अभी तक जो मुख्य आरोपी का नाम सामने आया है, वह पेशे से एक पत्रकार भी रह चुका है, तो अब सवाल उठता है कि क्या पत्रकार बिरादरी से होने के नाते स्थानीय मीडिया ने इस मामले पर शुरुआत में उस तरह से दिलचस्पी नहीं ली, जिस तरह से पत्रकारिता धर्म इजाजत देता है? या फिर यह मामला इस बजह से इतने दिनों तक दबाया गया, क्योंकि इसमें बड़े-बड़े बाबुओं से लेकर नेताओं तक के हाथ सने हुए हैं? या फिर इसलिए क्योंकि इससे हर उस चेहरे से नकाब उठ जाता, जिसे वहां की जनता भगवान मानती है? कुछ तो है जिसकी बजह से इस मामले को दबाने की भरपूर कोशिश हुई, मगर अब यह मामला संसद में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। मगर इस बात के लिए हम सबको ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि इसका हाल नवरुणा कांड की तरह न हो जाए.....! ●



एनआरसी से गृहपञ्च का बड़ा खतरा

● अमित कुमार

आ

मराघाट गाँव में एक छोटे घर से घंटी बजने की आवाजें आ रही हैं। घर के आँगन में एक मंदिर है जिसके चबूतरे पर बैठी महिला बाएं हाथ से घंटी बजा रही है और दाएं हाथ से आरती भी कर रही है। चबूतरे के नीचे उनके दो छोटे बच्चे बैठे हैं जिसमें से एक चार साल की बेटी, शारीरिक रूप से विकलांग है। पूजा के दौरान 30 साल की इस महिला के आसूं भी लगातार बह रहे हैं। आंसुओं पर मुश्किल से काबू पाकर जुतिका दास ने कहा, 'आज फिर से जेल जा रहे हैं उनका हाल लेने। ग्यारह बार जा चुके हैं और हर मुलाकात में वे ज्यादा दुबले और बीमार दिखे हैं।' असम के सिलचर जिले के इस खूबसूरत गांव में ढाई महीने पहले तक जुतिका अपने परिवार के साथ हंसी-खुशी जिन्दगी बिता रही थीं। पति अजित दास की आमदनी राशन की दुकान से होती थी और बेटी का इलाज भी चल रहा था। छोटे बेटे को स्कूल भेजने की भी तैयारी चल रही थी, लेकिन एक शाम सब बदल गया। अजित दास दुकान में बैठे थे और इलाके की पुलिस वहाँ से उन्हें पूछताछ के लिए ले गई। अगले दिन तक घर नहीं लौटे तो पता चला कि उन्हें सिलचर सेंट्रल जेल के भीतर बनाए गए अस्थाई डिटेंशन कैंप भेज दिया गया है। आरोप

था, रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया के पास अपने उन दस्तावेजों को न जमा करने का जिससे प्रमाणित हो सके कि उनका या उनके पूर्वजों का नाम 1951 के एनआरसी में या 24 मार्च 1971 तक के किसी वोटर लिस्ट में भौजूद था। दरअसल अजित का परिवार 1960 के दशक में बांग्लादेश से भारत आया था। इसी के चलते उनकी भारतीय नागरिकता पर सवाल है और मामला अब विदेशी ट्राइब्यूनल में है। अजित के दो बड़े भाइयों के खिलाफ भी वारंट निकला हुआ है।



और उन्हें

भी सरेंडर करने का नोटिस

जारी हो चुका है। गौरतलब हो कि 30 जुलाई, 2018 को नागरिक रजिस्टर का फाइनल ड्राफ्ट जारी हुआ है। असम के लाखों लोगों के साथ-साथ अजीत दास की नागरिकता भी खतरे में है और उनके परिवार का भविष्य भी दांव पर है। राज्य में लाखों ऐसे हैं, जिन्हें इस दौर से

गुजरना पड़ रहा है क्योंकि असम भारत का अकेला राज्य है जहाँ इस तरह की प्रक्रिया जारी है। इस कश्मकश के बीच जुतिका दास जैसों की जिंदगी अधर में लटकी हुई है। जुतिका का घर नदी के मुहाने पर है, इसलिए आए दिन साँप आ जाते हैं। बच्चों को देखूं, खाना बनाऊं या दुकान संभालूं? बकील की फीस भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। वही रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया

ने 1 जनवरी, 2018 को 1.9 करोड़ असमिया लोगों की सूची जारी की थी। ये असम के कुल 3.29 करोड़ लोगों में से हैं। जिन लोगों का नाम उस सूची में नहीं आया है उन्हें खासतौर से 30 जुलाई को जारी होने वाली सूची का इंतजार था। अब सूची आ गई है और असम के 2.89 करोड़ लोगों को ही देश का नागरिक माना गया है। बाकी 40 लाख लोग अवैध नागरिक साबित हो गए हैं। हालांकि अभी इस सूची में

जिन लोगों का नाम नहीं आया है उन्हें अपील कर अपना पक्ष रखने का मौका अभी बचा है। जिन्हें इस सूची का इंतजार था, उसमें प्रदेश के मुसलमान-हिंदू सभी शामिल हैं। लेकिन हकीकत यही है कि एनआरसी की इस भारी-भरकम प्रक्रिया के बीच जुतिका दास जैसे कई और भी पिस कर रहे हैं। जुतिका के घर से महज एक किलोमीटर की दूरी पर 48 वर्ष की कामाख्या दास भी रहती हैं। इनके पति पिछले 11 महीने से



डिटेंशन कैंप में हैं और शादी-शुदा बेटी और दामाद ही कामाख्या की सुध लेते रहते हैं। बताते चले की जुतिका दास एक शाम हमारे साथ इनका हाल लेने गई। कामाख्या का कहना है, पता नहीं पति को कभी देख भी पाऊँगी या नहीं। न जाने कहाँ से हम पर ये मुसीबत गिर पड़ी। जैसे-जैसे 30 जुलाई करीब

आई है, उन सभी लोगों की चिंता की लकीरें बढ़ी हैं, जिनके अपने डिटेंशन कैंपों में बंद हैं। जुतिका दास अपने दो बच्चों के साथ सिलचर के सेंट्रल जेल पहुँचे। जेल के बाहर मेले जैसा हाल था क्योंकि दर्जों

डिटेंशन कैंप में बंद अपने माँ या बाप, पति या पत्नी और भाई या बहन से मिलने आए थे। गेट के बाहर बेंच पर बच्चों को बैठकर जुतिका ने रजिस्टर पर साइन किया और एक घटे का इंतजार शुरू हुआ। पति अजित दास जैसे ही जेल की सलाखों के पीछे से उनसे मिलने पहुँचे, बच्चों ने जाली पर हाथ मारना शुरू कर दिया। बच्चों तक अपना हाथ नहीं पहुँचा पा रहे अजित दास सिसक-सिसक कर रोने लगे। जुतिका द्वारा आपवीती में बताया गया कि फल देती हूँ तो रोने लगते हैं और सलाखों के पीछे से बच्चों को खिलाने की कोशिश करते हैं। मैंने 100 रुपए थमाने की कोशिश की तो मना कर दिया और कहा कि जेल में इसके भी गायब होने का खतरा रहता है। इतना घबराए हुए थे कि पृछ भी नहीं पा रहे थे कि क्या मैं खुद एनआरसी सूची में परिवार का नाम ढूँढ़ने जाऊँगी। 30 जुलाई को पूरे असम राज्य में नेशनल रजिस्टर ऑफ

सिटीजनशिप के दूसरे भाग की लिस्ट जारी हुई है। हालांकि बढ़ते तनाव को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ये कह चुकी है कि जिसे भी रजिस्टर को लेकर किसी तरह की शिकायत होगी उसकी जांच की जाएगी और ये प्रक्रिया फाइनल नागरिकता को देने या न देने की प्रक्रिया नहीं है। लेकिन जुतिका दास को इन बातों से खास फर्क नहीं पड़ता।

बहरहाल, ऐसी दुख भरी दास्तां के बीच एनआरसी मामले में कई पीस रहे हैं। ध्यान रहे कि कई महीनों से इस एनआरसी पर चर्चाएं हो रही

हैं और खामियाजा वह सब पर जारी है, जो कमजोर है। सरकार का यह नियम एक मायने में सही है, किन्तु बिना पुरी जानकारी के शक के

आधार पर यह अत्याचार हिटलर की क्रूरता को दिखा रहा है। हालांकि कईयों को एनआरसी की सही जानकारी नहीं है, इसलिए बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानि एनआरसी से मतलब भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजी में उन भारतीय नागरिकों के नाम से हैं, जो असम में रहते हैं। इसे वर्ष 1951 की जनगणना के बाद 1951 में तैयार किया गया था। इसे जनगणना के दौरान वर्णित सभी व्यक्तियों के विवरणों के

आधार पर तैयार किया गया था। जो लोग असम में बांग्लादेश बनने के पहले (25 मार्च 1971 के पहले) आए हैं, केवल उन्हें ही भारत का नागरिक माना जाएगा। असम भारत का पहला ऐसा राज्य है, जिसके पास राष्ट्रीय नागरिक पंजी है। नागरिकता हेतु प्रस्तुत लगभग दो करोड़ से अधिक दावों (इनमें लगभग 38 लाख लोग ऐसे भी थे, जिनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावजों पर संदेह था) की जाँच पूरी होने के बाद न्यायालय द्वारा एनआरसी के पहले मसौदे को 31 दिसंबर तक प्रकाशित करने का आदेश दिया गया था। 31 दिसंबर 2017 को बहु-प्रतीक्षित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का पहला ड्राफ्ट प्रकाशित किया गया। कानूनी तौरपर भारत के नागरिक के रूप में पहचान प्राप्त करने हेतु असम में लगभग 3.29 करोड़ आवेदन प्रस्तुत किये गए थे, जिनमें से

कुल 1.9 करोड़ लोगों के नाम को ही इसमें शामिल किया गया है। असम में नागरिक पंजी को अखिल आखिरी बार 1951 में अद्यतन किया गया था। उस समय असम में कुल 80 लाख नागरिकों के नाम पंजीकृत किये गये थे। 1979

में अखिल आसाम छात्र संघ द्वारा अवैध अप्रवासियों की पहचान और निर्वासन की मांग करते हुए एक 6 वर्षीय आन्दोलन चलाया गया था। यह आन्दोलन 15 अगस्त, 1985 को असम समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शान्त हुआ था। बहरहाल, वक्त बीतने के साथ इसका मुद्दा भी गंभीर होता चला गया, हालांकि इस पर संसद में चर्चाएं होती रही किन्तु फिलवक्त एनआरसी का





जो मुद्दा वर्तमान में गंभीर बना हुआ है, इस पर खूब राजनीति खिचड़ी पकाई जा रही है।

गौरतलब हो कि एनआरसी के मुद्दे पर बीते दिनों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि अगले आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराना बहुत जरूरी है, क्योंकि वह असम की तरह अन्य राज्यों में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बनाना चाहती है जिससे देश में गृहयुद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने असम में इस रजिस्टर से 40 लाख लोगों को बाहर कर दिया। अब वह बंगाल, बिहार, राजस्थान, उत्तरप्रदेश एवं अन्य राज्य में ऐसे रजिस्टर से करोड़ों लोगों को बाहर कर देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए यह हथकंडे अपना रही है क्योंकि वह बांग्लादेशियों के नाम पर लोगों को बांटना चाहती है। उन्होंने कहा कि पहले भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक देश थे। 1971 तक जो भी भारत में रहा, वह उसका हिस्सा है क्योंकि उसके बाद ही बांग्लादेश बना, इसलिए उन्हें घुसपैठियां नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर बिहार के लोग बंगालियों को और बंगाली बिहारियों को तथा दक्षिण के लोग उत्तर भारत के लोगों को न रहने दें तो देश में गृहयुद्ध की स्थिति बन जाएगी। तृणमूल नेता ने आगे कहा कि पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के परिवार के लोगों का नाम इस रजिस्टर में नहीं है। यह देखकर उन्हें गहरा आश्चर्य हुआ। इसी तरह कई लोगों के नाम नहीं हैं। यह विशुद्ध चुनावी राजनीति है, इसलिए अगले चुनाव में भाजपा को हराना बहुत जरूरी है। वही दूसरी ओर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि मुझे दुःख है कि भाजपा और बीजद के अलावा एक भी दल ने यह नहीं कहा कि देश में घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है। कांग्रेस और उनके साथी, विशेषकर

तृणमूल ऐसी तस्वीर बनाने की कोशिश कर रही है, जिससे लगे कि भाजपा अन्याय कर रही है। मैं कांग्रेस और तृणमूल से पूछना चाहता हूं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों पर आप का रुख क्या है? कांग्रेस-तृणमूल को देश के हित की नहीं, अपने वोट बैंक की चिंता है। मैं साफ कर दूं कि घुसपैठियों के मसले को लेकर असम में लंबे समय तक युवाओं ने एक आंदोलन छेड़ा था। सैकड़ों की जान गई थी। 1985 में असम समझौते पर तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व० राजीव गांधी ने हस्ताक्षर किए थे। उस संधि की आत्मा एनआरसी है। एनआरसी बनाते समय कहा गया था कि घुसपैठियों को पहचानकर उन्हें मतदाता सूची से बाहर किया जाएगा। सन् ८८ रहे कि ममता बनर्जी ने असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। सिंह ने उन्हें आश्वस्त किया कि यह पूरी प्रक्रिया कानून के अनुसार निष्पक्षता के साथ की जा रही है तथा किसी को बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा। गृह मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि इस पूरी प्रक्रिया में किसी को भी परेशान नहीं किया जाएगा और हर चरण में सभी को अपनी बात रखने तथा आपत्ति और दावे दायर करने का मौका दिया जाएगा। यह मसौदा रजिस्टर उच्चतम न्यायालय की निगरानी में कानून के अनुसार

बनाया गया है। यह पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और कानून के अनुसार पूरी की जा रही है तथा किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मसौदा रजिस्टर असम समझौते के प्रावधानों तथा केंद्र, राज्य सरकार और अधिकारी असम छात्र संगठन के बीच त्रिस्तरीय बैठक के निर्णयों के तहत प्रकाशित किया गया है।


गौरतलब है कि राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण सूची में असम के 40 लाख लोगों के नाम नहीं आने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़क गई हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि आखिर 40 लाख लोग कहां जाएंगे। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को भाजपा की वोट बैंक की राजनीति बताते हुए कहा कि क्या सरकार के पास इनके लिए कोई पुनर्वास कार्यक्रम है? ममता ने कहा कि अंततः पश्चिम बंगाल ही इससे प्रभावित होगा। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब ममता ने इस मुद्दे पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार एनआरसी लिस्ट के बहाने असम से बांगलादेशी को खेड़ेने की साजिश रच रही है। ममता ने मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि उन्हें आग से नहीं खेलना चाहिए। इस बयान के बाद गुवाहाटी हाईकोर्ट के वकील शैलेन्द्र नाथ ने एक शिकायत भी दर्ज कराई थी।

दूसरी ओर एनआरसी पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मैं इस बात को पूरा जोर देकर कहना चाहता हूं कि यह एक मसौदा है, अंतिम एनआरसी नहीं। हर किसी को दावे एवं आपत्तियां देने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। कानून में इसका प्रावधान है और हर किसी को सुनवाई का मौका मिलेगा, उसके बाद ही अंतिम एनआरसी का प्रकाशन होगा।


सन् ८८ रहे कि असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को लेकर जहां संसद के दोनों ही सदनों में हंगामा जारी है, वहीं विभिन्न दलों के नेताओं ने संसद के बाहर भी प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन, रामगोपाल यादव समेत तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने संसद परिसर में



अमित शाह



अरुण जेटली



राजनाथ सिंह



किरण रिज्जू

स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष एनआरसी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी अपने हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लिए हुए थे। जिन पर लिखा था कि बांटने और राज करने की नीति को बंद करना चाहिए, अपने ही देश में भारतीय शरणार्थी क्यों बनें। वही एनआरसी के मुद्दे पर प्रियुग के मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने एनआरसी असम को कोई बड़ा मुद्दा नहीं बताया और कहा कि मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल इससे निपटने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग डर पैदा करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

बताते चले कि एनआरसी पर भड़की ममता बनर्जी 13 साल पहले बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ को लेकर संसद में हंगामा कर चुकी हैं। उस दौरान ममता ने स्पीकर परिषद पर न केवल पेपर फेंका था, बल्कि इस मुद्दे पर लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने की घोषणा भी की थी। हालांकि यह बात अलग है कि तब पश्चिम बंगाल में टीएमसी की नहीं बल्कि लेफ्ट की सरकार हुआ करती थी। उल्लेखनीय है कि एनआरसी मुद्दे पर ममता बनर्जी का कहना है कि इससे रक्तपात व गृहयुद्ध शुरू हो जाएगा। ममता ने भाजपा पर आरोप लगाया कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में वैध दस्तावेजों के साथ लोगों के नाम को शामिल नहीं किया गया और यह कार्य राजनीतिक मकसद से किया जा रहा है, जिसका विरोध किया जाएगा। लेकिन भाजपा ने तृणमूल चीफ को बांग्लादेशी घुसपैठियों पर उनका पुराना स्टैंड याद दिलाया है। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अरुण जेटली ने एक ट्वीट कर पूछा है कि पश्चिम बंगाल की सीएम ने 4 अगस्त 2005 को लोकसभा में कहा था कि बंगाल में होने वाली घुसपैठ अब त्रासदी बन गई है। मेरे पास बांग्लादेशी और भारतीय वोटर्स दोनों की लिस्ट है। यह बेहद गंभीर मामला है। मैं यह जानना चाहूँगी कि सदन

में इसपर कब चर्चा होगी। जेटली ने अपने फेसबुक पोस्ट में ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए कहा है कि वह बांग्लादेशी घुसपैठ पर अपना रुख बदल रही हैं। जेटली ने कहा कि 2005 में भाजपा की सहयोगी रह चुकी ममता बनर्जी ने भी इस पर खास रुख अपनाया था। संघीय मोर्चे के नेता के तौर पर अब वह इसके उल्ट बात कर रही हैं। 4 अगस्त 2005 को ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी माइग्रेशन के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव को लेकर नोटिस दिया था, तब लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी हुआ करते थे, लेकिन उस समय चेयर पर डेप्यूटी स्पीकर चरणजीत सिंह अटवाल थे। हालांकि एनआरसी के मुद्दे पर राज्यसभा में बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि असम एकॉर्ड आपके (कांग्रेस) प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने साइन किया, यह पूरी तरह एनआरसी पर ही लागू था। आप अपने प्रधानमंत्री का फैसला लागू नहीं कर पाए। अमित शाह ने विपक्षी पार्टियों पर पलटवार करते हुए कहा कि मैं पूछना चाहता हूँ कि ये 40 हजार

सर्वानंद सोनोवाल
मुख्यमंत्री, आसाम

बांग्लादेशी किसके हैं, किसको बचा रहे हैं आप? उन्होंने विपक्ष को निशाने पर ले रे हुए कहा कि किसी में भी घुसपैठियों की पहचान करने की हिम्मत नहीं थी। दअसल, वे लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं। शाह ने कहा कि असम में अवैध घुसपैठियों की पहचान जरूरी थी। अमित शाह के इस बयान के सदन में विपक्षी संसदों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। इसके पहले लोकसभा में आज रोहिंग्या शरणार्थियों का मामला उठा, जिस पर जवाब देते हुए गृह राज्यमंत्री किरण रिज्जू ने कहा कि रोहिंग्या शरणार्थी नहीं हैं बल्कि अवैध तरीके से भारत आए हैं और उन्हें देश पर कभी बोझ नहीं बनने दिया जाएगा। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान अरविंद सावंत, रामस्वरूप शर्मा और सुगत बोस के पूरक प्रश्नों के उत्तर में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल और असम राइफल्स को सजग किया गया है कि म्यांमार से लगी सीमा से रोहिंग्या भारत में प्रवेश नहीं कर सकें। उन्होंने कहा कि फरवरी, 2018 में राज्यों को जारी ताजा एडवायरी में कहा गया कि वे अपने यहां मौजूद रोहिंग्या की गिनती करें और उनको एक निश्चित क्षेत्र में सीमित रखें तथा उनकी गतिविधि पर भी नजर रखी जाए। सिंह ने कहा कि राज्य सरकारों से रोहिंग्या के बारे में रिपोर्ट मांगी गई है और रिपोर्ट मिल जाने के बाद हम इसे विदेश मंत्रालय को देंगे। इसके बाद विदेश मंत्रालय रोहिंग्या को म्यांमार वापस भेजने के बारे में वहां की सरकार से बात करेंगा। उन्होंने कहा कि कानूनी तौर पर राज्य भी अवैध प्रवासियों को उनके देश भेज सकते हैं।

गैरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी से प्रधानमंत्री के दौड़ में शामिल होने की बात पर बताया कि वे प्रधानमंत्री बनने की प्रतिस्पर्धा में नहीं हैं और उनकी पहली प्राथमिकता विपक्षी एकता के कारण 2019 के चुनावों का सामना करने से 'डरी और हताश'

भाजपा को हराना है। नरेन्द्र मोदी और भाजपा को हराने के लिए ममता खास प्लान तैयार कर रही हैं। भाजपा विरोधी मोर्चा बनाने के लिए विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिशों की अगुवाई करती दिख रहीं ममता दिल्ली में लगातार समय बिता रही हैं। कांग्रेस, तेलुगुदेशम पार्टी, वाईएसआर, द्रमुक, राजद, सपा एवं जनता दल सेक्यूरलर के नेताओं के अलावा ममता ने भाजपा के विपक्ष नेता लालकृष्ण आडवाणी, शिवसेना नेता संजय राऊत और भाजपा के असंतुष्ट नेताओं से मुलाकात की। अगले साल 19 जनवरी को कोलकाता में प्रस्तावित अपनी रैली के लिए विपक्षी पार्टियों के नेताओं को आमंत्रित करने वाली ममता ने पत्रकारों से कहा कि विपक्ष एकजुट है। 2019 में भाजपा खत्म हो जाएगी। प्रस्तावित रैली को न सिर्फ विपक्षी एकता का प्रदर्शन बल्कि ममता को राजनीति के केंद्र में स्थापित करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता ने सोनिया गांधी और सहुल

से मुलाकात के बाद कहा कि 'हम एकजुट हैं। हम सामूहिक नेतृत्व पर फैसला लेंगे। यदि सभी विपक्षी पार्टियों संसद में हाथ मिला सकती हैं और साथ मिलकर काम कर सकती हैं तो बाहर मिलकर क्यों नहीं लड़ सकतीं?' विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर ममता को स्वीकार करने के कांग्रेस के संकेत पर तृणमूल सुप्रीमो ने कहा

कि मैं कुर्सी की रेस में नहीं हूं। तृणमूल सुप्रीमो ने कहा कि हमारा मकसद भाजपा को हराना है। अगले साल लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ एकजुट तरीके से मुकाबला करने के लिए लगभग सारी विपक्षी पार्टियां बातचीत के शुरूआती चरण में हैं। ममता ने कहा कि उन्होंने सोनिया एवं राहुल दोनों से मुलाकात की और एनआरसी के मुद्दे पर चर्चा की, क्योंकि इसमें 40 लाख लोगों को शामिल नहीं किया गया है और वाजिब वोटरों को भी इससे बाहर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमने राजनीतिक हालात पर चर्चा की? उन्होंने कहा कि हमने इस बात पर चर्चा की कि विपक्ष किस तरह एकजुट होकर

भाजपा से मुकाबला कर सकता है, क्योंकि भाजपा जानती है कि वह सत्ता में वापसी नहीं कर सकती। प्रस्तावित भाजपा विरोधी मोर्चा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में पूछे जाने पर ममता ने कहा कि इस पर बाद में फैसला होगा। पहली प्राथमिकता भाजपा को मात देना है। पहले भाजपा को हराना है। एनआरसी के मुद्दे पर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की ओर से आलोचना किए जाने पर ममता ने कहा कि मैं उनकी नौकरानी नहीं हूं। मैं उनकी इट्पणियों पर क्यों जवाब दूं? उन्होंने कहा कि गाली का जवाब हम गाली से नहीं देंगे। यह हमारी परंपरा है। ममता ने कहा कि विपक्षी पार्टियों की एकता के कारण भाजपा डरी हुई है और राजनीतिक तौर पर हताश है। भाजपा जानती है कि 2019 में उसका क्या होने वाला है, क्योंकि वे सत्ता में वापसी नहीं करने वाले। इसलिए वे ऐसा माहौल बना रहे हैं और यह सब कर रहे हैं। बताते चले कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ अपनी मुलाकात पर ममता ने कहा कि हम हर नेता को

मैं कांग्रेस के फैसलों में दखल नहीं दे सकती। हमारा मानना है कि राज्य में सबसे मजबूत पार्टी को भाजपा से मुकाबला करना चाहिए।

बहरहाल, पहचान और नागरिकता का प्रश्न असम में रहने वाले लाखों लोगों के लिए लंबे वक्त तक परेशानी का सबब बना रहा। असम भारत का बो राज्य है, जहां बहुत-सी जातियों के लोग रहते हैं। बंगाली और असमी बोलने वाले हिंदू भी यहां बसते हैं और उन्हीं के बीच जनजातियों के लोग भी रहते हैं। असम की तीन करोड़ बीस लाख की आबादी में एक तिहाई आबादी मुस्लिमों की है। आबादी के प्रतिशत के लिहाज से भारत प्रशासित कश्मीर के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम यहीं रहते हैं। इनमें से कई ब्रिटानी शासन के दौरान भारत आकर बस गए प्रवासियों के बंशज हैं। लेकिन पड़ोसी देश बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासी दशकों से चिंता का विषय रहे हैं। इनके खिलाफ छह साल तक प्रदर्शन किए गए। इस दौरान सैंकड़ों लोगों की हत्याएं हुईं। इसके बाद 1985 में प्रदर्शनकारियों और केंद्र

सरकार के बीच एक समझौता हुआ। सहमति बनी कि जो भी व्यक्ति 24 मार्च 1971 के बाद सही दस्तावेजों के बिना असम में घुसा है, उसे विदेशी घोषित किया जाएगा। अब विवादित एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जारी होने के बाद पता चला है कि असम में रह रहे करीब 40 लाख लोग अवैध विदेशी हैं।

बीते कुछ सालों में विशेष अदालतें करीब 1,000 लोगों को विदेशी घोषित कर चुकी थीं। इनमें ज्यादातर बंगाली बोलने वाले मुस्लिम थे। ये लोग हिरासत केंद्रों में बंद हैं। प्रवासियों के बच्चों को उनसे अलग करने की अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की नीति की दुनियाभर में आलोचना हुई। असम में भी ठीक उसी तरह परिवारों को तोड़ा गया है। एनआरसी सूची आने के बाद रातों-रात लाखों लोग स्टेटलेस (किसी भी देश का नागरिक न होना) हो गए हैं। ऐसे में राज्य में हिंसा का खतरा भी बढ़ गया है। असम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा वाली भारतीय जनता पार्टी





सत्ता में है। पार्टी पहले ही प्रवासी मुस्लिमों को वापस बांग्लादेश भेजने की बात कह चुकी है। लेकिन पड़ोसी बांग्लादेश भारत की ऐसी किसी अपील को स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे में ये लोग भारत में ही रहेंगे और ठीक वैसे ही हालात पैदा होने का खतरा रहेगा, जैसे म्यांमार से बांग्लादेश भागे रहिया के साथ हुआ था। दशकों से असम में रह रहे लोगों की भारतीय नागरिकता छीन ली गई है। अब ना तो ये लोग पहले की तरह बोट कर सकेंगे, ना इहें किसी कल्याणकारी योजना का लाभ मिलेगा और अपनी ही संपत्ति पर इनका कोई अधिकार नहीं रहेगा। जिन लोगों के पास खुद की संपत्ति है वो दूसरे लोगों का निशाना बनेंगे। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी स्टेटलेसनेस को खत्म करना चाहती है, लेकिन दुनिया में करीब एक करोड़ लोग ऐसे हैं, जिनका कोई देश नहीं। ऐसे में भारत के लिए हालिया स्थिति असहज करने वाली होगी। मोदी सरकार पहले से

इस बात को लेकर घबराई हुई है। सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री का कहना है कि जिन लोगों का नाम एनआरसी सूची में नहीं आया, उन्हें डिटेंशन कैप में नहीं रखा जाएगा और नागरिकता साबित करने का एक और मौका दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ नवा डिटेंशन कैप बनाने की बात भी कही जा रही है, जिसमें नागरिकता साबित करने में नाकाम रहने वाले लोगों को रखा जाएगा। साथ ही, वकीलों का कहना है कि जिन लोगों के नाम सूची में नहीं आए हैं वो लोग विशेष अदालत में अपील कर सकते हैं। फिर तो इन लाखों लोगों की किस्मत का फैसला होने में कई साल लग जाएगा। वही भारत में उत्तर-पूर्व की स्थिति पर अध्ययन कर चुके सुबीर भौमिक का कहना है कि ये मामला बेहद पेचीदा हो चुका है। वो कहते हैं, अराजकता की संभावना बढ़ गई है। अल्पसंख्यकों में घबराहट है। बांग्लादेश में भी डर है कि कहीं ये शरणार्थियों उनके यहां ना

आ पहुंचें। स्टेटलेस लोगों को डिटेंशन कैप में भरने का मामला पूरी दुनिया का ध्यान खींचेगा। इन सब चीजों में खर्चा भी बहुत होगा।' इसमें कोई शक नहीं है कि अवैध प्रवासी असम में एक गंभीर समस्या बन गए हैं। 1971 में हजारों लोग बांग्लादेश से भागकर असम आ गए थे। यहां आने के बाद इन लोगों की आवादी बढ़ी और आज असम में इनकी तादाद लाखों में है। इसकी वजह से राज्य पर कई असर पड़े, रहने के लिए जगह कम पड़ने लगी, भूखंड छोटे होते चले गए। यहां रह रहे अवैध प्रवासियों की संख्या 40 लाख से एक करोड़ तक है। इनमें से ज्यादातर खेती-बाड़ी का काम करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक, असम के 33 जिलों में से 15 जिलों में इनकी अच्छी-खासी मौजूदगी है। 1985 से विशेष अदालतें 85,000 से ज्यादा लोगों को विदेशी घोषित कर चुकी है। लेकिन कई लोगों का आरोप है कि नरेंद्र मोदी की बीजेपी ने चुनावी फायदे के लिए सांप्रदायिकता को हवा दी है। पार्टी कह चुकी है कि अवैध मुस्लिम प्रवासियों को उनके देश वापस भेजा जाएगा, जबकि अवैध हिंदू प्रवासियों को यहीं रहने दिया जाएगा। जाने-माने असमिया लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता हिरेन गोहेन कहते हैं, आप इसे सही कहें या गलत, लेकिन नागरिकता के इस मामले ने बहस छेड़ दी है। असम की राजनीति में ये अहम मुद्दा बन गया है। जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता, आप आगे नहीं बढ़ सकते।' राज्य का असली नागरिक कौन हैं और बाहरी कौन हैं, ये पता लगाना जरूरी है।' एनआरसी सूची तैयार करने में अबतक 18 करोड़ डॉलर का खर्च आया है। इस सूची के आने के बाद लोगों में एक दूसरे के लिए नफरत और अविश्वास बढ़ा है, जो चिंता का विषय है। ●

स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की ढेरो शुभकामनाएँ।

-ः निवेदक :-

शारवा प्रबंधक, पीएनबी हरनौत, नालंदा



विधायक पुत्र की मौत हत्या या आत्म-हत्या?




● अमित कुमार/धर्मेन्द्र सिंह

बी ते दो-तीन महीने से बिहार पर काला बादल मंडरा सा गया है और हसी-खुशी सारी ही मिट गई। अभी मुजफ्फरपुर में बालिका गृह में रहने वाली बच्चियों के साथ बलात्कार का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि इसी बीच राजधानी पटना में दो बड़ी घटना सुर्खियां बनी हुई हैं। पहला तो यह कि गंगा सेतु से स्कर्पर्फियों के साथ गिरा आर्दश का खबर लिखे जाने तक ना तो डेढ़ बॉडी मिली और ना ही स्कर्पर्फियो गाड़ी, जिसे एनडीआरएफ सहित कई तैराकों के द्वारा तथा अत्याधुनिक यंत्रों से भी पानी की गहराई में खोज की गई किन्तु अभी तक इसका पता नहीं चल पाया। वही दूसरी तरफ चित्कार भरे गूंज के साथ बिहार सरकार में हाल में रही पूर्व मंत्री व रूपौली विधायक बीमा भारती के पुत्र की मौत से सूबे में चिंता की विषय बन गई। बीमा भारती का बेटा दीपक की डेढ़ बॉडी पटना के एनएमसीएच स्थित रेलवे ट्रैक पर पायी गई,



जिसके बाद उसकी हत्या के अनुमान लगाये जाने लगे। दीपक की मौत की खबर सुनने के बाद विधायक सहित सभी परिजन सदमें में आ गये। आनन-फानन में पहुंची पुलिस द्वारा त्वरित एसआईटी बैठायी गयी और विधायक पुत्र दीपक की हत्या हुई है या आत्महत्या, इसकी जांच में वे जुट गये। हालांकि रूपौली की विधायक बीमा भारती के बेटे की हुई मौत को लेकर जो हत्या की आशंका जताई जा रही थी वह गलत निकली है। दरअसल विधायक पुत्र दीपक की मौत ट्रेन से टकराने की वजह से हुई थी। यह खुलासा एसआईटी की जांच में हुआ है। बहादुरपुर स्थित दोस्तों मृत्युजय व रितिक के लॉज में खाने-पीने से लेकर उसकी मौत तक की सभी कड़ियों को जोड़ लिया है। इसमें हत्या की बात सामने नहीं आई है। वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत का कारण हादसा बताया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मौत की वजह सिर का फटना है। मामला सत्ताधारी पार्टी के विधायक के बेटे से जुड़ा है इसलिए एसआईटी सतर्क है। फिलहाल कोई भी पुलिस अधिकारी कुछ कहने

अलावा और भी जाँच हुये तो कई मामले उजागर होना तय है। गंभीर मामलों का खुलासा में मोतीपुर 2004 से अव्वल रहा है। जमीन और मकान कब्जा करने का दौर जारी है। मनीष और रवि के इशारे पर थानेदार लेते हैं सीधा-सीधा टेंडर और जारी करते हैं कड़ा फरमान। इन माफियाओं का बहुत बड़ा साजिश होता है, बहुत बड़ा माफिया द्वारा कई तरह का तरकीब तलाश कर लिया जाता है जमीन और मकान पर कब्जा करने को, पहले तो यह क्या करते हैं सीधे-साधे और भोले भाले का और कमज़ोर तबके के लोगों को तलाशते हैं, घर और परिवार के झगड़े को मुलझाने का दावा करते हैं, और करने लगते हैं पंचायती, पुलिस ही इनके पास पीड़ित को भेजती है, इन्हीं के माध्यम से रुपये की कमाई होते हैं, उसके पश्चात एक पक्ष को पटाकर उससे सुपरी गैंग के सदस्य के नाम लिखवाने लगते हैं उसके जमीन, रजिस्ट्री कराने लगते हैं मकान। इससे भी नहीं बनता है बात तो फर्जी कागजात प्रस्तुत करने लगते हैं। थाने को देते हैं चढ़ावा और फिर चढ़ जाते हैं मकान और जमीन पर, मोतीपुर में ऐसे कई वारदात खुलकर आए हैं। सामने जब कमज़ोर व्यक्ति जिसका जमीन कब्जा होने वाला होता है वह जब प्राथमिकी दर्ज करते हैं तो कोर्ट में सिविल कोर्ट में 144 लगता है और वहां पर भी पैरेली कर के और उसी को मोटी रकम देकर के यह करवा लेते हैं अपने पक्ष में फैसला, कब्जा दिखाते हैं और वास्तव में दर्बारी दिखा कर कर लेते हैं कब्जाकई जगह जहां सुरक्षा बल की तैनाती होने पर इन्हीं को कब्जे में मदद करते हैं। पीड़ित न्याय के लिये दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं, जाए तो जाए कहां थाना सुनता नहीं अंचल सुनता नहीं है, उच्च



अधिकारी के पास कितना जाये, कितना पत्र भेजे, सीधा कहते हैं आयेगा कही से आवेदन करवाई के लिये मोतीपुर थाना या प्रखण्ड अंचल में वही स्लट लेंगे, जब इससे भी नहीं बात बनती तो गुंडा गर्दी करते हैं, गुंडों का लेते हैं सहारा, तोड़ते हैं कानून जिसमें पुलिस भी मदद करती है, ऐसा फिदरत और कोई ऐसा तरकीब नहीं है जो यह लगाने में नहीं पाए जाते हैं। हर प्रकार से चाहते हैं कि जिस पर इनका निशाना होता है वहां का मकान और जमीन कर लो कब्जा। मनीष

पौर्णप्रती डीलर भी है। इसका गिरोह में कई सक्रिय सदस्य हैं, इस गिरोह में शामिल है कई गुंडे। किरण कहती है की ये कब्जे कराने का टेंडर लेते हैं, मनीष सिंह पर हाल में मकान कब्जा कराने को लेकर साहू रोड की ही काँती देवी ने प्राथमिकी दर्ज मोतीपुर थाने में कराया है। बताया गया है की मकान बनाने के लिये यह गैंग एक बहुत बड़े अनाज माफिया के इशारे पर यह खेल साहू रोड में खेले जा रहा, किरण देवी ने जो आरोप लगाया है वह काफी गम्भीर है जो अपराध के त्रैणी में आता है। इस घटना पर अगर प्रशासन ने समय पर करवाई नहीं किया तो किरण देवी के परिवार के साथ कोइ ना कोइ अप्रिय घटना होना बताया गया है जैसा कि किरण देवी ने आवेदन में जिक्र किया है। उधर मनीष सिंह का कहना है की यह गलत आरोप है और किरण देवी झूठ बोलती है। रवि चौधरी भी कहते हैं कि वो जनता का काम करते हैं उन पर गलत आरोप लगाये जा रहे हैं। इधर जानकारी के अनुसार किरण देवी के साथ हो रहे घटना में कई माफियाओं का हाथ है। भले ही मनीष इस मामले को झुठला दे मगर किरण देवी काफी दुर-दुर तक आवेदन भेज कर कारवाई की माँग की है, किरण देवी संतोष जनक करवाई नहीं होने पर दिल्ली प्रधानमंत्री से मुलाकात किये जाने तक कि योजना तैयार की है। अब देखना है कि आखिर किरण का मकान कब्जा करने में माफिया गिरोह सफल होता है या किरण को उसके मकान और परिवार को बचाने में सफलता मिलता है। हजारों असत्य एक सत्य पर नहीं पर सकता भारी, क्योंकि असत्य पर सत्य है भारी। जी हा यह कहावत इस घटनाक्रम में चरितार्थ हो रहा है। ●

स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएँ।

-: निवेदक :-

रामनारायण प्रसाद

पैक्स अध्यक्ष

ग्राम-नूरनगर, पंचायत-पांकड़, पो०-भोजपुर
थाना-हरनौत, नालंदा

प्रेमी से पति बना सुमित अपनी पत्नी सोनाली की रेत ढी गला

शादी करने के बाद सोनाली का किसी दूसरे लड़कों के साथ बात करना कर्तव्य पसंद सुमित नहीं करता था, इसलिए कर दी उसकी हत्या।

● नन्दकिशोर सिंह



गूसराय जिला का चर्चित सोनाली हत्याकांड का पुलिस ने 23 जुलाई को एस.पी. कार्यालय बेगूसराय में प्रेस कांफ्रेंस कर खुलासा कर दिया। हत्या सोनाली का इसके कथित प्रेमी से पति बने सुमित ने ही अपने दोस्त के साथ मिलकर उसकी हत्या निर्ममता पूर्वक चाकू से गोदकर कर दिया। उसके पति बने सुमित को सोनाली से शादी करने के बाद किसी दूसरे लड़के के साथ घूमना और बातें करना कर्तव्य पसंद नहीं करता था। सुमित के द्वारा कई बार सोनाली को समझाने का कोशिश भी किया गया था, लेकिन वह अपनी हरकत से सोनाली कभी बाज नहीं आती थी। अंत में अपने

दोस्त के साथ

मिलकर सुमित ने

सोनाली की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या में शामिल सुमित के दोस्त परमित कुमार और दीपक कुमार दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में प्रयुक्त किए गए चाकू और उसके मोबाइल फोन को भी पुलिस ने बरामद किया। इसकी जानकारी देते हुए बलिया के एस.डी.पी.

ओ. अंजनी कुमार ने पत्रकारों को प्रेस कांफ्रेंस में दी। सोनाली हत्याकांड का मास्टरमाइंड प्रेमी से पति बने सुमित कुमार रिफाइनरी ओपी थाना क्षेत्र के मकरदही गांव निवासी सुनील साह का पुत्र है। जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दरअसल रिफाइनरी के मकरदही गांव निवासी सुमित कुमार सोनाली के साथ प्रेम करने के बाद खण्डिया जिला के लोहापट्टी के शिव मंदिर में घर से दोनों भागकर अगस्त 2017 को शादी रचा ली थी। शादी करने के बाद सोनाली को



सुमित अपना पत्नी मानता था। लेकिन शादी करने के बाद भी सोनाली अपने कथित पति सुमित के अलावे आशीष नामक लड़का के अलावा कई अन्य लड़कों से बात करना और उसके साथ घूमना फिरना बांद नहीं करती थी। इस बात को लेकर सुमित

हमेशा नाराज रहता था और उसे कर्तव्य यह सब पसंद नहीं करता था। सुमित के द्वारा कई बार समझाने के बाद सोनाली जब अपनी हरकत से बाज नहीं आयी तब उसने अपने दोस्त महेश महतो के पुत्र दीपक कुमार के यहाँ 13 जुलाई को उसके घर पर पहुंचकर उसकी हत्या करने की योजना बना डाली। योजना में सुमित के साथ परमित भी उस समय उपस्थित था। हत्या की योजना के मुताबिक 14 जुलाई को सुमित ने सोनाली को मिलने के लिए बेगूसराय बुलाया। सोनाली अपने भाई के साथ शहर के एस.बी.

एस.एस. कॉलेज पहुंची थी। जहाँ से सुमित ने अपने मोबाइल से कॉल करके उसे खातोंपुर चौक के पास बुलाया था। सोनाली कॉलेज के पीछे के रास्ते से निकल कर ई रिक्शा से खातोंपुर चौक पहुंची। जिसके कारण एस.बी. एस.एस. कॉलेज में आने का फुटेज सी.सी.टी.वी. कैमरा में पुलिस को मिला था। लेकिन उसके आने का फुटेज नहीं मिला था। खातोंपुर चौक पर अपने परमित दोस्त के साथ इंतजार कर रहे सुमित ने सोनाली को लेकर परमित के बाइक से साहेबपुर कमाल के रघुनाथपुर सब्दलपुर गाँव अपने रिश्तेदार सोनू साह के घर पर दोनों दोपहर 1 बजे दिन में पहुंचा था। वहाँ भी सुमित ने सोनाली को दूसरे लड़कों से बात करने से मना किया। जिसको लेकर दोनों के बीच झगड़े भी हुए। उसके बाद सुमित ने सोनाली को तीन से चार थप्पड़ भी जड़ दिए। दोनों के बीच विवाद होने के बाद सुमित ने सब्दलपुर गाँव से अपने रिश्तेदार के घर से सोनाली को लेकर फिर अपने दोस्त परमित के साथ बाइक से निकल गया था। साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के सनहा ढाला के पास सुमित ने अपने दोस्त अमित को बाइक रोकने के लिए कहा। तब बाइक से उतरकर सुमित एन.एच. 31 के किनारे झाड़ी में अकेले पहले चला गया। वहाँ जाकर उसने सोनाली को फिर बुलाया। कुछ देर बाद जब सोनाली के द्वारा चीखने और चिल्लाने की आवाज आई तब परमित वहाँ दौड़कर पहुंचा। तब तक सोनाली खून से सनी हुई जमीन पर पड़ी हुई मिली। उसके बाद सुमित ने चाकू से सोनाली के जिस्म पर कई जगह गोद डाला। हत्या के बाद परमित के साथ मिलकर आसपास पड़े कुछ कपड़ों को उठाकर उसमें सोनाली के शव को उसमें लपेटकर बांध नुमा गड़दे में सोनाली के शव को हाथ से नीचे फिर धक्कल दिया। जैसा कि परमित सुमित कुमार के दोस्त ने पुलिस को बताया। उसने बताया कि घटना का सच को छुपाने के लिए सुमित के द्वारा एक उजले रंग के रूमाल में सोनाली की हत्या करने के बाद उसमें आशीष लिखकर उसके शरीर पर फेंक दिया। सोनाली की हत्या करने के



बरनार के आंचल से निकलेगी हरियाली

'बरनार के आंचल से निकलेगी हरियाली' कौन होगा बरनार का तारणहार? क्या चालीस वर्षों से लंबित अतिमहत्वाकांक्षी बरनार जलाशय परियोजना जमुई सांसद चिराग के प्रयास से बन पाएगा या फिर एक बार फिर राजनैतिक शिकार हो जाएंगे जिले के किसान? क्या बरनार का सपना सपना ही बन कर रह जाएगा? क्या जिलाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार और सांसद चिराग पासवान बरनार के लिए मसीहा बनाएंगे जमुई से हमारे जिला ब्यूगे अजय कुपार की रिपोर्ट :-

के

बल सच हिन्दी मासिक पत्रिका बरनार का निर्माण को चुनौती के रूप में लिया है और बरनार के हर छोटी-बड़ी घटना को अपने पत्रिका में स्थान दिया है। केवल सच जून-जुलाई 2012 जून 2013 में बरनार की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित कर चुका है तथा दर्जनों बार जिले के नेताओं को अपनी लेखनी से चुनौती दे चुका है। गैरतलव है कि जिस बरनार का सपना पूर्व मंत्री और बिहार के दिग्गज नेता रहे नरेन्द्र सिंह के पिता महान समाजवादी और स्वतंत्रता सेनानी श्रीकृष्ण सिंह ने देखा था। उस बरनार पर जिले में रहे तमाम विधायक और सांसद तथा दूसरे लोकसभा सीट से जीते जिले के सांसद ने भी काम किया। यहाँ तमाम नेताओं ने बरनार पर जो भी काम किया वह कर्तव्य सराहनीय

नहीं माना जा सकता। केवल सच के जमुई प्रतिनिधि उन तमाम नेताओं से भी बरनार पर चर्चा कर चुके हैं जहाँ से बरनार पर बात बनती हो। पूर्व के मुंगेर जमुई तथा बांका के सांसद भी बरनार पर लोकसभा में चर्चा कर चुके हैं। वर्ष 2013 में

जिलाधिकारी जमुई शिकांत तिवारी तथा उनके नये टीम के अथक प्रयास से पूरा हुआ था पर उसके बाद भी चार वर्षों तक मामला यूं ही अटका रहा। तत्कालिन चकाई विधायक समिति

कुल छः बार इस मामले को बिहार विधानसभा में उठा चुके हैं। 22 जुलाई को सांसद चिराग पासवान जिलाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार के साथ बरनार का स्थलीय निरीक्षण कर चुके हैं और अब तक बरनार पर काम पूरा नहीं होने का दोष महागठबंधन की सरकार को दे रहे हैं। बरनार तथा बरनार से सटे सांसद

आदर्श ग्राम पर काम नहीं होना चिराग का पूर्व के जिलाधिकारी कौशल किशोर से उनका 36 का आंकड़ा रहना भी एक कारण रहा है। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान कहा था कि मुख्यमंत्री ने बरनार पर एक उच्चस्तरीय समन्वय समिति का गठन किया है जिसमें राजस्व विभाग, बन एवं पर्यावरण विभाग, सिंचाई विभाग तथा जमुई जिलाधिकारी को सदस्य बनाया गया है जो बरनार में अटके बाधाओं को दूर करेगा। वहाँ चिराग ने कहा था कि अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो बरनार पर छः माह के अन्दर काम शुरू हो जाएगा। यहाँ एक बात बता दूँ कि बिहार सरकार को 1235 एकड़ जमीन बन विभाग को हस्तांतरित करनी है भूमि हस्तांतरित होने के पश्चात बन एवं पर्यावरण विभाग का आनापति प्रमाण पत्र मिल जाएगा तत्पश्चात बरनार बाध निर्माण को लेकर डीपीआर तैयर कर काम शुरू

बरनार जलाशय परियोजना का प्रारूप और लाभ।

स्थल- ग्राम-कटहरायांड, प्रखंड सोनो, जिला जमुई।

प्रकार- कंकीट-स्टीन मेसनरी पक्का डेम।

डेम की क्षेत्रफल- 285 मीटर लम्बा और 74.10 मीटर ऊँचा।

कैचमेट एरिया- 102 वर्गमील (261.6 वर्ग किमी)

कमाण्ड एरिया- 166 वर्गमील (425.72 किमी)

मुख्य नहर- 25.10 किमी

बिजली- 10 मेगावाट का निर्माण।

लाभ- सोनो, झाङ्गा, गिधौर, खैरा, बरहट के करीब 600 गांव।

सिंचाई- 19433 हेक्टेयर खरीफ और 3239 हेक्टेयर रबी की फसल के अतिरिक्त 4470 एकड़ बालूबुर्द जमीन भी सिचित।

प्राक्कलन राशी तैयार करने का अनुमानित राशी करीब 12 अरब रूपया होने का अनुमान है।



बरनार की रार पर अटका 460 हेक्टेयर जमीन जो पिछले 36 वर्षों से अटका हुआ था

अवगत करा दिया। इसमें जो दर्शाया गया है उसमें से सिंचाई विभाग बांका से 314 एकड़ के अलावे जमुई जिला से वाकी के 821.87 एकड़ जमीन उपलब्ध कराया गया था। जिसमें जमुई के सोनो से 358.82 एकड़, झाजा से 137 एकड़, चकाई से 151 एकड़ खेरा से 50 एकड़ और गिर्हांड से 125 एकड़ जमीन दर्शाया गया था। जिसकी एक-एक प्रति तत्कालिन कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह, भवन निर्माण मंत्री दामोदर रावत तथा चकाई विधायक सुमित कुमार सिंह को भी भेजा गया था। तब से आज तक वह फाईल थूले फांक रही थी अब जाकर जमुई सांसद चिराग पासवान के प्रयास से बरनार फिर से चालू होने तथा फाईल को आगे बढ़ने की सभाबंना प्रबल होती दिखाई दे रही है। बरनार के बन जाने से इस क्षेत्र के किसानों के लिए यह सिंचाई परियोजना वरदान साबित होगी। बरनार जलाशय परियोजना के बन जाने से करीब 61600 एकड़ असिंचित भूमि का पटवन होगा तथा उससे करीब 217015 क्वांटल अतिरिक्त फसल की उपज होगी। 10 मेगावाट बिजली के उत्पादन से जिले की बिजली की समस्या समाप्त हो सकती है तो वहाँ सांसद का आदर्श ग्राम बटिया भविष्य का पर्यटन स्थल



के रूप में विकसीत होगा। जिले का बाबा द्वृमराज स्थान की महत्ता बढ़ेगी और रोजगार का साधन बनेगा। अब देखना होगा कि बरनार का तारणहार

बनकर आये नये जिलाधिकारी और चार वर्षों से जमुई के सांसद लोजपा के युवराज कहाँ तक नैया पार लगा पाते हैं? ●

नक्सलियों की नस ढीली : जगनाथ रड्डी

जमुई जिला भले ही आज पिछड़ा, अविकसित, जंगल-झाड़ वाला, बरसाती नदियों वाला, उद्योगविहीन, नक्सल प्रभावित, पहाड़ी, पुल-पुलिया वाला संप्रदायिकता और अशांत जिला कहलाता है, परंतु इसका अतीत अत्यंत ही गौरवशाली और उन्नत रहा है। त्रेतायुग की बात करें, तो स्वर्णमयी लंकापति रावण जगत जननी सीता माता का अपहरण कर ले जा रहा था, तो इस घृणित कार्य को देखकर राम के परम भक्त जटायु बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसने सीता माता को उसके चंगुल से मुक्त कराने के लिए रावण के साथ द्वन्द्व युद्ध किया, हलाकि जटायु का पंख करत दिया गया जिससे उसकी मृत्यु वही हो गई आज वह स्थान गिर्हेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। द्वापर युग की बात करें तो महाभारत के मुख्य पात्र पांडव इस जिले के बिल्कुल उत्तरी छोर के जंगल में अज्ञातवास के कालखण्ड में यहाँ ठहरे थे। इस जंगल में भीम ने एक बांध बांधा था जो आज भी भीमबांध के नाम से प्रसिद्ध है। अगर कलयुग की बात करें तो 2600 वर्ष तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर का जन्म इसी जिले में हुआ है आज वह स्थान जन्म-स्थान के नाम से ही जाना जाता है। 2015 के अन्त में यही से भगवान महावीर की मूर्ति चोरी हुई थी और कुछ दिनों के बाद मिल भी गयी थी। अगर 1600 वर्ष पूर्व की बात करें तो सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु गोविन्द सिंह के पिता तेग बहादुर सिंह का चरण इस जिले की धरती को पावन कर चुके हैं। अगर 100 वर्ष पूर्व की बात करें तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में गिर्हांड के बंझौलिया गांव आए थे। इसी क्रम में रोजगार हेतु खादीग्राम में श्रम भारती की स्थापना किए थे। अगर 2018 की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में पूर्व रेल राज्यमंत्री स्मृति शेष दिग्विजय सिंह एवं पूर्व सांसद भाजपा नेत्री पुतुल सिंह की प्यारी पुत्री श्रेयसी ने गोल्डन शूटर बनकर संपूर्ण विश्व में जमुई जिला का नाम गौरवान्वित की है। ऐसे गौरवशाली जिले के 29वें पुलिस अधीक्षक जगनाथ रड्डी का साक्षात्कार विभागीय व्यूरो प्रोफेसर रामजीवन साहू के साथ हुई उसका कुछ अंश :-

★ जमुई नक्सली क्षेत्र है, इस पर आप काबू कैसे प्राप्त कर सकते हैं?

बिहार का गया जिला भी नक्सल प्रभावित जिला है। वहाँ पर सभी प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे बचाव, छापामारी, मुठभेड़ होने पर, चारों तरफ से घिर जाने पर, ऑपरेशन सर्च अभियान आदि आदि। इन विधाओं के आधार पर मैं नक्सलियों पर काबू कर पा सकता हूँ।

★ जो पूर्व में नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं, उनको अभी तक घोषित सुविधाएं नहीं मिली है क्यों?

यह प्रक्रिया थोड़ी कठिन है। इसे विभिन्न स्थानों से गुजरना पड़ता है मैंने थोड़ा गति प्रदान किया है। बिहार सरकार के पास सभी कागजात भेज चुका हूँ। जल्द ही आदेश प्राप्त होने वाला है।

★ जमुई जिले की मुख्य समस्याएँ क्या हैं? उसके समाधान के लिए आपने क्या सोचा है?



जर्मई एक अजूबा जिला है। सामान्यता ऐसा देखा गया है कि जहाँ नक्सली सक्रिय हैं वहाँ दूसरा समाजद्रोही संगठन नहीं पनपता है, लेकिन जर्मई इससे बिल्कुल भिन्न है यह नक्सली के अतिरिक्त लुटेरा, आतंकवादी, अपहरणकर्ता, सांप्रदायिकता गुंडागर्दी सभी फल-फूल रहे हैं। यहाँ लगातार ऐसे-ऐसे पुलिस अधीक्षक आए जो इस सभी संगठनों के रीढ़ को तोड़ दिए हैं। कुछ अधीक्षक तो व्यक्तिगत दुश्मनी के भाव से भी इस जिले में काम किए हैं। मैं भी इसका समूल खात्मा के लिए बिहार पुलिस, कोबरा पुलिस, बीएमपी, CRPF, BSF, SSC के कमांडेंट के साथ बैठक कर, रणनीति तैयार किया हूँ और कार्यवाही करता हूँ। फिलहाल नक्सलियों की नस तो ढाली हो चुकी है।

★ आपने एक बार चार थानों को एक नागरिक रूप में सूचित किया था कि एक सफेद रंग की गाड़ी में शराब जा रहा है इसमें 2 थाना अपनी तत्परता दिखाई और दो ने अनसुना कर दिया जिसने लापरवाही बरती उसके साथ आपने क्या किया ?

दो थानों में खैरा और सिकंदरा थाना है इसने अपनी तत्परता दिखाई इसलिए उन दो

थाना को पुरस्कृत किया गया और जो दो थाना अपनी तत्परता नहीं दिखाई उसे सस्पेंड कर दिया गया।

★ 2UPSC की परीक्षा पास करने का किन्हीं तीन बिंदुओं का सुझाव दें।

(a) कठिन परिश्रम (b) सही मार्गदर्शन और (c) स्मार्ट लर्निंग तकनीक यह परीक्षा एक प्रकार का महासागर है इसमें से अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को खोजना है।

★ क्या धनहीन विद्यार्थी IPS बन सकता है?

हाँ क्यों नहीं, गत वर्ष एक सब्जी बेचने वाले व्यक्ति का पुत्र IPS कंप्लीट किया था। मैं भी तो मध्य दर्जे के परिवार से आता हूँ।

★ आप विद्यार्थियों के बीच जाना बहुत पसंद करते हैं क्यों ?

मैं चाहता हूँ इस जिले का प्रत्येक प्रतिभागी IPS बने। इन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इसके गूढ़ विषयों पर संवाद करता हूँ दूसरी बात यह है कि पुलिस के खौफ को समाप्त करना चाहता हूँ।

★ इतने कम समय की आप की उपलब्धियाँ क्या हैं?

जनवरी 2018 से जुलाई 2018 तक मेरे कार्यकाल में अग्रलिखित वस्तुएँ जब्त हुई हैं (जनवरी 2018 से जुलाई 2018 तक जब्त हथियार एवं विस्फोटक) :- देसी पिस्तौल और राइफल-26, जिंदा गोली-297, अपराधी-1843, गिरफ्तार नक्सली-222, डेटोनेटर-12, केन बम-2, देसी बम-1, देशी शराब-1747 ली0, विदेशी शराब 7257.45 ली0, महुआ-1242 किलो, नक्सली साहित्य, मोबाइल-7, सोने-चाँदी के आभूषण।

गिरफ्तार अभियुक्त :- 1. पवन ताँती, पिता परमेश्वर ताँती, ढोलकटवा, 2. सनोज ताँती पिता बनारसी ताँती, महुआग, 3. विजय उर्फ विपिन पंडित, पिता पूना पंडित 4. फोकसा मोहन मांझी पिता चेतू माझी मलयपुरा


आपको बता दूँ कि पुलिस अधीक्षक श्री जगनाथ रड्डी का जन्म 1982 में कर्नाटक में हुआ है। इनके पिता श्री स्मृतिशेष ईंगर रड्डी, एक कृषि पदाधिकारी थे। माता श्री शान्ता जी, बहन तीन हैं। ये सभी गृहिणी हैं। अपने पिता के ये एकलौता पुत्र हैं। इनकी पढ़ाई एग्रीकल्चर से एम.एस.सी. तक हुई है। इनकी पत्नी का नाम दीपा है।

फतुहा पुलिस वर्दी की प्रतिष्ठा को नीलाम करने को हरदम रहती है तैयार

● डॉ लक्ष्मीनारायण सिंह

भा

रत की पुलिस और उसकी व्यवस्था में कितना बदलाव आया है। आज पुलिस कि छवि संगठित गुंडों के गिराह या फिर उग्रवादी संगठनों जैसी बन चुकी है। समाज को सुरक्षा देने वाली पुलिस को देखते ही आज आम नागरिकों के पासीने छूटने लगते हैं। पांच दशक पूर्व महिलाएं कलकत्ता से पेशावर तक घूम लेती थीं और उस महिला की तरफ आँख उठाकर देखने की हिम्मत किसी को नहीं होती थी। पुलिसकर्मी इमानदार होते थे, समाज के बड़े लोगों या छोटे उसे पकड़ने में अपने प्राणों की बाजी तक लगा देते थे। संस्कारों से लैस पुलिस अपने कर्तव्य के प्रति इन्हे बफादार होते थे कि सफेदपोष तथा कथित लोगों को बेनकाब पल भर में कर डालते थे। परन्तु आज की पुलिस के पास सिर्फ वर्दी है संस्कार गायब हो चुका है। यदि बगेर मूर्ति के मन्दिर हो तो आप किसकी आराधना करें। आज अधिकांश बगेर संस्कार वाले पुलिस का ही नतीजा है कि वहले एक चौकिदार से जितना अपराधी और भट्टचारी भय खाता था, आज बड़े-बड़े अधिकारी से भी अपराधी भय नहीं खाता है। जहाँ पहले कभी अपराध नहीं हुए थे, वहाँ भी आज माँ-बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। आज ऐसे-ऐसे संस्कार हीन पुलिस अधिकारी हैं। जो अकारण जूठे मुकदमें में फंसाकर पुरुष की कौन कहे महिलाओं और बच्चयों को भी हवालात की हवा खिला दी जा रही है। तिलक-दहेज की हत्या आम होते जा रही है। पति-पत्नी के झगड़ा में आत्म हत्या करने के लिए मजबूर होकर आत्म हत्या कर लेती है। सच जानते हुए भी पुलिस ने 80 साल के सास 90 साल के ससुर, 20 साल से अलग रह रहे गोतीनी भैसुर तथा ससुराल रह रहे ननद को भी मुकदमा कर जेल भेज देती हैं। ऐसे गम्भीर घटना में विधायक संसद, मंत्री हस्तक्षण नहीं करना चाहेगा, ये समाज के माननीय विधायक संसद मंत्री भी अपना कर्तव्य भूल जाते हैं कि मुझे किस लिए यहाँ पर जनता ने भेजा है। वैसे संस्कार वाल पुलिस कर्मियों को भी नहीं भुलाया जा सकता है, जो वर्तमान



फतुहा पुलिस का खेल

फतुहा थाना क्षेत्र के सौतीचक गाँव में एक अज्ञात महिला की लाश मिली, उसी दिन पुन-पुन थाना में एक अज्ञात पुरुष की लाश भी बरामद किया गया। महिला के लाश के पास से एक सोनार के दुकान का पुर्जा बरामद हुआ, उस पुर्जा के आधार पर हरनौत थाना के सरथा गाँव के मनोरंजन सिंह की पत्नी रेखा देवी के रूप में उसकी पहचान हुई। तब इसी आधार पर फतुहा पुलिस ने एक कहानी गढ़ी कि रेखा देवी का पुनरुपन में मिली शब से प्रेम संबंध था, इसी कारण रेखा के पति मनोरंजन सिंह ने कुछ लोगों के सहयोग से दोनों की हत्या कर अलग-अलग लाशें छिपा दिया तथा यही आधार बनाकर फतुहा थाना केश नं 199/16 दर्ज किया गया तथा पुनरुपन थाना केश नं 137/16 में भी कहानी गढ़कर दिया तथा फतुहा पुलिस ने रेखा के पति मनोरंजन सिंह ससुर सुरेस सिंह तथा गाँव के एक अन्य सुबोध सिंह को गिरफ्तार कर थाना ले आया तथा दोनों को जल्लाद की तरह दो दिनों तक पिटाई किया गया। सुरेस सिंह और मनोरंजन सिंह बराबर बिनती करते रहे कि रेखा के घर से भागने के कुछ समय पहले किसी का फोन आया था, उसी समय फोन से बतियाते निकल गया हमलेग खोज बीन किया पता नहीं चला तथा फोन भी बन्द कर लिया। अन्ततः पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया, जेल भेजने के बाद फोन का सीडीआर रिकार्ड निकाला गया, दो महीना बाद हरनौत के रामसागर गाँव से संटु कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उसके घर से रेखा का मोबाइल, मंगल सुत्र तथा अन्य सामान बरामद किया गया। मोबाइल डिटेल के अनुसार रेखा-संटु के बीच एक-एक दिन में 30-30 बार तक बात होता था। सन्टु ने स्वीकार किया कि मुझ पर शादी का दवाव रेखा बना रही थी, शादी के भय से मैं तथा दो साथी मुन्ना और रिषभ के साथ मिलकर हत्या कर दिया। रेखा का असली हत्यारा मिल गया। बावजूद न्याय के लिए सुरेश सिंह अनशन किया। प्रधानमंत्री तक दौड़ लगाई परन्तु रेखा एवं पुनरुपन में मिली लाश के दोनों मुकदमा न्यायालय में चल रहा है। दुसरी ओर सभी पुलिस अधिकारी एक ही रट लगाते हैं कि जाँच चल रहा है। जबकि असली हत्यारा मिल गया उसके बाद भी अब क्या जाँच चल रहा है। दूसरी ओर पुनरुपन में लाश का आज तक शिनाख नहीं हो सकी है। आखिर में वह किसकी लाश थी। नीतीश के सुशासन में एक भी इमानदार स्वाभिमानी पुलिस अधिकारी क्या नहीं है जो निदोष को जेल जाने से बचा सके, ऐसे आज लाखों निर्दोष जेलों में कैद हैं।



तात्पर्य मई में पालुवा द पुनर्जन में हुए दोहरे हत्याकांड का समाचार
महिला का हत्यारा मिल गया,
फिर भी पति व ससुर जेल में

फतुहा थाने के दारोगा ने फोन पर कहा, एसपी तक जाता है रिश्वत के पैसों का हिस्सा

पटना जागरण

पटना 10 जून 2017 दैनिक जागरण | 5

व्यवस्था में भी आदर्श बन कर आये हैं। ऐसे पुलिस कर्मियों में किशोर कुणाल, किरण बेदी, रत्न संजय, शिवदीप लाण्डे, विकाश वैधव का

नाम प्रत्येक के जुबान पर गुंजता रहता है। फतुहा थाना में भी कई पुलिस अधिकारी संस्कार से लैस आए हैं, जिनमें नवल सिंह, जितेन्द्र सिंह

यादव, असरार अहमद, को 0 को 0 साहू, लक्ष्मण पासवान, रघुनाथ सिंह तथा डी एस पी में नीलेश कुमार आज भी सभी के जुबां पर हैं। ●

इलाज के दौरान लगभग 22 बच्चों की मृत्यु

● श्रीधर पाण्डेय

जएक बड़ी खबर चिकित्सा जगत को कलंकित करते हुए एक चिकित्सक द्वारा अंजाम दिये जाने की सामने आयी है। घटना है जयपुर मणिपाल हॉस्पीटल एवं डॉ. सत्येन्द्र कटेवा द्वारा बच्चों को प्रयोग के रूप में हेप्टोस्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया गया, और बच्चों के अभिभावकों को धोखें में रखा गया। जिसके कारण बच्चे असमय काल कल्पित हो गये। इसके बाद सभी परिजनों ने पी.एम.ओ. स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार, एन.एच.आर.सी., नई दिल्ली, राजस्थान स्वास्थ्य विभाग, को बारी-बारी सभी जगह शिकायत किया गया। सभी विभाग ने संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग राजस्थान को पत्र लिखकर कार्रवाई के लिए कहा लेकिन स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया एवं मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान ने एस.एम.एस. हॉस्पीटल जयपुर को पत्र लिखकर जाँच करने को कहा था। जिसके जवाब में एस.एम.एस. हॉस्पीटल के अधीक्षक ने पत्र लिखा कि मैं इस तरह के जाँच करने के लिए सक्षम नहीं हूँ। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने राजस्थान मेडिकल कॉन्सिल को जाँच के लिए पत्र लिखा कि एस.एम.एस. हॉस्पीटल जाँच करने में सक्षम नहीं है। इसलिए आप ही इसकी जाँच करें। फिर भी एस.एम.एस. हॉस्पीटल के अधीक्षक को ही जाँच की जिम्मेदारी सौंपी गयी, इसकी क्या औचित्य बनता है। इससे साफ जाहिर होता है कि हमलोगों के द्वारा उठाये गये मुद्दे को बाधित करके जाँच को प्रभावित करना चाह रहे हैं। क्योंकि परिजनों द्वारा दिये आवेदन में से एक या दो परिजनों के अलावा किसी भी परिजनों को जवाब नहीं दिया गया। उन सभी परिजनों के द्वारा

आर.टी.आई. के तहत मांगी गयी रिपोर्ट में भारत स्वास्थ्य मंत्रालय एवं राजस्थान स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा थैलेसिमिक बच्चों पर हेप्टोस्टेम सेल ट्रांसप्लांट की अनुमति प्रदान नहीं की गयी है। फिर भी पूरे भारत में कई जगहों पर कई हॉस्पिटलों में धड़ल्ले से हेप्टोस्टेम सेल ट्रांसप्लांट करके बच्चों को इलाज के जगह पर मौत दी जा रही है। परिजन चाहते हैं कि असमय हो रही बच्चों की मौत को रोकने के लिए भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार इसकी गहन जाँच करके इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास करें, ताकि और बच्चों की मौत और ठगी न हो सके। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि इस जाँच के लिए किसी केन्द्रीय एजेंसी को जाँच की जिम्मेदारी दी जाये तभी निष्पक्ष जाँच संभव हो सकेगी।

वही सभी परिजनों के द्वारा परिवार एवं बाल कल्याण मंत्रालय के माननीय मंत्री महोदया को भी गुहार लगाया था। जिसका संज्ञान लेते हुए मंत्री महोदय ने अपनी जाँच टीम के द्वारा इस मुद्दे की जाँच के उपरांत जाँच रिपोर्ट भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंप दिया गया है। हम परिजनों ने गुगल सर्च के माध्यम से ये जानकारी निकाली है कि मणिपाल हॉस्पीटल के द्वारा स्टेम सेल ट्रांसप्लांट थेरेपी के लिए भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अनुमान से अनुमति नहीं ली गयी है। और ये सही है तो यह भी एक गहन जाँच का विषय है, क्योंकि 2015 से 2017 तक बहुत सारे

ट्रांसप्लांट इस अस्पताल में हुए हैं। उन सभी परिजनों को ऐसा लगने लगा है कि हमें उचित न्याय राजस्थान स्वास्थ्य विभाग द्वारा ही हमारे दिये गये आवेदन के विषय को ही बदल दिया गया जो कि अनुचित करने की ओर इशारा करता है। हम परिजनों ने मांग की थी कि

जाँच कमिटी में न्यायिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी एवं वीडियो रिकॉर्डिंग को जोड़ा जाये परन्तु हमारे सारे मांग को दर किनार कर दिया गया, ये भी संरेहास्पद है। मृत बच्चों के परिजनों ने मांग की थी कि हम सभी परिजनों को एक साथ बुलाकर अपना पक्ष रखने का मौका दें। ताकि न्याय के लिए हम लोग अपना-अपना पक्ष रखकर न्याय की गुहार कर सकें। इस मुहिम में हमें आप की सहयोग की आवश्यकता है, तभी हमें उचित न्याय मिल पायेगी। ऐसा उन सभी परिजनों को आशा है। इस संदर्भ में सारे परिजन आने वाले समय में कोई और परिवार या बच्चे इस तरह झांसे में

आकर गलत इलाज में न फंसे और असमय मृत्यु से परे दूर रहें। एक परिजन अमित कुमार अग्रवाल के उपर डॉ. सत्येन्द्र कटेवा ने झूठा मुकदमा नगर थाना जयपुर में 19 मार्च को करवाया था। उनकी मनसा हम परिजनों को डराकर इस मुद्दे से हटाने की थी। परंतु जयपुर पुलिस की सक्रियता एवं सही जाँच में मुकदमा झूठा साबित हुआ और झूठ करार देकर उक्त थाने में आई.ओ. के द्वारा कोर्ट को सुर्पुर कर दिया गया। ●



हितेश डॉक्टर



छर्जों की नगरी में तब्दील नालंदा एवं नवादा के कई गॉव

भारत सरकार के डिजिटल इंडिया में आम लोगों को जहाँ सुविधा मिली है वहाँ उन्हें कई समस्याओं से भी दो-चार होना पड़ रहा है। जिस प्रकार अंतरिक्ष की तस्वीर पलक झपकते ही खींच कर पृथ्वी पर पहुँच जाती है उसी तरह बिहार प्रदेश के नालंदा और नवादा जिले के सैकड़ों गाँवों के हजारों युवक साइबर क्राइम से जुड़कर पलक झपकते ही बैंक खाते से राशि निकालने में भी देर नहीं कर रहे हैं। वैसे तो नालंदा विश्व में प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल एवं राष्ट्रीय धरोहर के रूप में विश्व के मानचित्र पर कायम है। वही नवादा जिला भी अपने अतीत में अपने योगदान को संयोगे हुये है। चाहे देश की आजादी की बात हो या किसान आंदोलन की बात हो या जेपी आंदोलन की बात हो इन सभी कार्यों में नवादा की भुमिका को नकारा नहीं जा सकता है। देश की आजादी में अहम योगदान देने वाले वीर योद्धाओं की कुर्बानी की यादों को भी अपने आगोश में समेटे हुये हैं। जहाँ तक नालंदा की बात है तो नालंदा की

धरती से पुरे विश्व में शांति का संदेश देती थी। वही विश्व के कई देशों से विर्धार्थी यहाँ आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। समय और परस्थितियों बदल गयी अग्रेजी हुकूमत ने जाते जाते नालंदा विश्वविद्यालय को खंडहर में तब्दील कर दिया। परन्तु नालंदा का उत्तरोत्तर विकास निर्वाध गति से होता रहा। आज नालंदा पुनः देश के मानचित्र पर उभरता हुआ विकासशील जिले की श्रेणी में अपना नाम दर्ज करा चुका है। परंतु विकास के मायने भी बदले हैं। आधुनिक जीवन जीने की कल्पना एक तरफ जहाँ शिक्षा, व्यवसाय, कृषि आदि क्षेत्रों में जहाँ सफलता का परचम लहराया है वही नालंदा एवं नवादा के युवा पीढ़ी अपने स्वर्णिम भविष्य की तालाश में अवैध, अनैतिक, अव्यवहारिक, अमर्यादित कार्यों से जुड़ रहे हैं। जिसका उदाहरण साइबर क्राइम है। देश के प्रधानमंत्री जहाँ डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देकर आम लोगों की समस्याओं को दूर करने तथा प्रभास्ताचार में डुबी व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिये सुदूरवर्ती गाँव में भी ऑन लाइन की व्यवस्था से जोड़कर गॉवासी को हाइटेक बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मनरेगा की मजदुरी, गैस सब्सीडी, कृषि डीजल अनुदान, प्रधानमंत्री आवास योजना, छात्रवृत्ति योजना, साइकिल योजना, पोशाक वितरण योजना, कृषि से संबंधित उपकरण में सब्सीडी, समाज कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि सहित सैकड़ों योजनाओं को बिचौलिये से दुर रखने की कबायद जारी है।

परन्तु जितनी सुविधायें मिलना प्रांरभ हुआ है उससे ज्यादा खतरनाक साबित भी हो रहा है। आये दिन बैंक खाते से अवैध तरीके से लाखों रुपये की निकासी हो जा रही है। भोले भाले ग्रामीण एवं शहरवासी भी ठगों के जाल में फँस कर अपने मेहनत की गाढ़ी कमाई को लुटाने पर मजबुर हो रहे हैं। नालंदा और नवादा में आधुनिक ठग किस प्रकार लोगों की जेब कतर रहे हैं। विस्तृत रिपोर्ट केवल

सच पत्रिका के नालंदा ब्लूरो ललन कुमार एवं नवादा से चीफ क्राइम ब्लूरो मिथिलेश कुमार की कलम से:-

ना

लंदा का करतरीसराय से प्रारंभ हुआ ठगी का खेल:- करीब पाँच दशक पुर्व से ही करतरीसराय बाजार में बैंधगिरी का कार्य प्रारंभ हुआ था। इकके दुकके बैंध पुरानी पट्टियों से जटिल रोगों का इलाज करना प्रारंभ किया था। साथ ही साथ देश के विभिन्न राज्यों से प्रकाशित होने वाले पत्र पत्रिकाओं में शार्टिंया इलाज के नाम पर सफेद दाग, सैक्स पावर, लिंग वर्द्धक दवाइयों, मनोकामना यंत्र, यांत्रिक अगुँड़ी का इशोहार देकर डाक पार्सल के माध्यम से दवाइयों को आदान प्रदान करना शुरू किया था। धीरे धीरे यह धंधा परवान चढ़ता गया। इकके दुकके बैंध से दर्जनों की संख्या में बैंधराज का दर्जा प्राप्त करना अपना धंधा चला रहे थे। जिसकी भनक जिले के किसी

पदाधिकारी को नहीं लग रही थी। उसकी खास बजह थी कि स्थानीय स्तर पर दवाओं की बिक्री नहीं की जाती थी। बैंध बड़े चालाकी से अपने धंधे का विकास कर प्रत्येक वर्ष लाखों रुपये का कारोबार कर रहे थे। प्रदेश में सबसे ज्यादा राजस्व डाक विभाग से देने वाला करतरीसराय डाकघर ही था। वारिसलीगंज स्टेशन से प्रत्येक दिन हजारों सीलबंद पार्सल यहाँ से देश के विभिन्न राज्यों में भेजा जाता था। जब इस धंधे में युवाओं की धुस पैठ प्रारंभ हुई तो यह धंधा का स्वरूप भी बदलना प्रारंभ हो गया। विगत दस वर्षों से चेहरा पहचानों इनाम पाओं का धंधा आधुनिक ठगी के रूप में परवान चढ़ने लगा। इसमें डिजिटल इंडिया का काफी योगदान रहा। विभिन्न टीबी चैनलों पर नामवीन अभिनेता,

अभिनेत्री, खेल जगत के चर्चित खिलाड़ियों का चेहरा दिखा कर चार पहिया वाहन जीतने का प्रलोभन देकर ठगी का धंधा प्रारंभ हो गया। भोले-भाले दर्शकों को चेहरा पहचानों इनाम पाओं का विज्ञापन दिखाकर उसकी गाढ़ी कमाई को हाइटेक तरीके से लुटना प्रारंभ हो गया है। इससे कई बड़े मिडिया घराने की आमदनी करोड़ों में हो गयी। देश के कई राज्यों में प्राथमिकी भी दर्ज हुई कई चैनलों के कार्यालयों में तोड़फोड़ भी हुई। जब देश के विभिन्न हिस्सों से पुलिस ठग की तालाश में नालंदा पहुँचना प्रारंभ किया तब जाकर नालंदा के तत्कालीन आरक्षी अधीक्षक निशांत तिवारी के नेतृत्व में करतरीसराय बाजार स्थित विभिन्न धंधों के यहाँ एक साथ छापेमारी की गयी। जिसमें 65 वैध की गिरफ्तारी एक



पर्यावरण जागरूकता व स्वास्थ्य रक्षा के लिए साइकिलिंग कैम्प

● अरविन्द मिश्र

सा

इकिलिंग एसोसिएशन बिहार द्वारा नवादा जिले के नारदीगंज में 10 दिवसीय साइकिलिंग प्रशिक्षण कैम्प आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 23 जुलाई 2018 को नारदीगंज स्थित आवासीय मॉडन इंगिलिश स्कूल, पंडपा में किया गया।

जो अगामी 31 जुलाई 2018 तक हुआ। आयोजन का नेतृत्व साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ नवादा के जिलाध्यक्ष अरविन्द मिश्र के देखरेख में प्रशिक्षण सत्र शुरू हुआ। प्रशिक्षण में आये प्रतिभागियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम सुबह 5 बजकर 30 मिनट में विद्यालय परिसर से शुरू किया गया। जो बनगंगा के रास्ते से तपोबन तक पहुंच कर प्रशिक्षण प्राप्त किये। सभी प्रतिभागी दो वार नारदीगंज से तपोबन गये। तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी तय किया। यह कार्यक्रम अगामी 31 जुलाई 2018 तक चलेगा। एसोसिएशन के संरक्षक रमेश चंद्र दूबे व मुख्य प्रशिक्षक अभय कुमार लूईस ने संयुक्तरूप से हरी झंडी दिखाकर प्रतिभागियों को रवाना किये। इस प्रशिक्षण बिहार राज्य के 9 जिले 34 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस प्रशिक्षण में पटना जिले के 9 प्रतिभागी, दरभंगा जिले के 4 प्रतिभागी, वैशाली जिले के 1, नवादा जिले के 10 प्रतिभागी, पौर्णिया जिले के 5 प्रतिभागी, भागलपुर जिले

के 1 प्रतिभागी, गोपालगंज जिले के 1 प्रतिभागी के अलावे गया जिले के 1 प्रतिभागी ने प्रशिक्षण में हिस्सा लिये हैं। इस प्रशिक्षण में 33 युवक व 1 दरभंगा जिले के रूपाली कुमारी ने भाग लिया है। मुख्य प्रशिक्षक अभय कुमार लूईस, सहायक प्रशिक्षक रजनीश कुमार, राजीव रंजन केशरी के अलावे श्याम कुमार के

ही 11 प्रतिभागी असफल हो गये, वैसे असफल प्रतिभागियों को पुनः अपने गांव में अभ्यास करने की सलाह दिया, अभ्यास पूर्ण होने पर पुनः उन्हे प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस प्रशिक्षण के उपरांत पुनः दूसरे जिले में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जायेगा। प्रतिदिन 80 से 100

किलोमीटर की दूरी तक प्रशिक्षण दिया जायेगा, साथ ही रात में उनसभी प्रतिभागियों को योगाभ्यास का भी प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित किया जायेगा।

कहा गया कि प्रतिधंटा 60 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले प्रतिभागियों को चयन किया जायेगा। वही दूसरे दिन से सभी साइकिलिंग प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण का रेंज बढ़ाया गया, और सभी प्रशिक्षु विद्यालय परिसर से राजीव तक गयी। उसके बाद बनगंगा होते हुए जेठियन से गलौहर घाटी तक तकरीबन 150 किलोमीटर की

दूरी तक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण की जानकारी मिलने पर 28 जुलाई 2018 की शाम में बीड़ीओ राजीव रंजन, सीओ कुमार विमल प्रकाश, सीएचसी डा० अखिलेश प्रसाद, बीआरपी अनिलेश कुमार व अन्य गणमान्य लोगों ने नारदीगंज स्थित आवासीय मॉडन इंगिलिश स्कूल, पंडपा में साइकिलिंग प्रतिभागियों से रुबरु होकर हौसला अफजाई किया। उपस्थित लोगों ने सभी प्रतिभागियों से हाथ मिलाकर पहले परिचय प्राप्त किया। प्रतिभागियों



माध्यम से

प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू हुआ। कहा गया कि साइकिलिंग क्षमता व गुणवता के साथ प्रशिक्षण में सफल प्रतिभागियों को राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले प्रतियोगिता में भेजा जायेगा। इस प्रशिक्षण में जहां स्वास्थ्य की रक्षा होगी, वही पर्यावरण को बचाने के लिए जागरूकता लाना मुख्य उद्देश्य है। आयोजित प्रशिक्षण के प्रथम दिन